



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 2016/पौष 16, 1937

No. 07]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2016/PAUSA 16, 1937

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2016

(तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए अर्हताएं, वेतनमान, सेवा शर्तों, कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) इत्यादि से संबंधित कुछ मुद्दों/विसंगतियों पर स्पष्टीकरण)

फा0सं0 27/आरआईएफडी/वेतनमान/01/2013-14.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 (प) और (अ) के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्न विनियम बनाती है :-

I. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता एवं आरंभ :

(क) इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् [तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए अर्हताएं, वेतनमान, सेवा शर्तों, कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) इत्यादि से संबंधित कुछ मुद्दों/विसंगतियों पर स्पष्टीकरण] विनियम, 2016 कहा जाएगा।

(ख) ये उन तकनीकी संस्थाओं पर लागू होंगे जो तकनीकी शिक्षा तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रम/कार्यक्रम और विषय-क्षेत्र संचालित कर रहे हैं, जैसेकि परिषद द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं।

II. सामान्य

अभातशिप को अभातशिप विनियम संख्या 37-3/विधिक/अभातशिप/2010 दिनांक 05 मार्च, 2010, तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए, संशोधित अर्हताएं, वेतनमान, सेवा शर्तों, कैरियर उन्नति योजना पर अभातशिप विनियम, 2010 (इसके पश्चात् इसे अभातशिप विनियम, 2010 के रूप में उल्लिखित किया गया है।) तथा अभातशिप विनियम संख्या 37-3 विधिक/अभातशिप/2012 दिनांक 08 नवम्बर, 2012 तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए कैरियर उन्नति योजना विनियम, 2012 (इसके पश्चात् इसे अभातशिप विनियम, 2012 के रूप में उल्लिखित किया गया है।) को लागू करने के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग करने वाले विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें अभातशिप की पूर्व की अधिसूचनाओं के संबंध में उठाए गए कुछ मुद्दों को भी शामिल किया गया है।

तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए अर्हताएं, वेतनमान, सेवा शर्तों, कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) इत्यादि से संबंधित कुछ मुद्दों/विसंगतियों पर स्पष्टीकरण

शिक्षकों तथा समकक्ष स्थितियों के कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण नीचे दिये गए हैं :

क. अर्हता संबंधी मामले		
क्रम संख्या	मुद्दे	स्पष्टीकरण
1.	क्या नीचे विनिर्दिष्ट की गई अर्हता वाला व्यक्ति डिग्री/डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्थाओं में संकाय के रूप में सीएसएस तथा/अथवा नियुक्ति हेतु पात्र हैं। (क) एमसीए/एम.एस.सी. (गणित/भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक/कम्प्यूटर विज्ञान तथा संबद्ध विषय) के साथ एमई/एम.टैक/पीएच.डी धारक कम्प्यूटर विज्ञान, आईटी तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पढ़ाने हेतु। (ख) विज्ञान निष्णात (एम.एससी) (इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान) तथा एम.ई. (ईटी एंड टी) अर्हकता (ग) सीएसई कार्यक्रमों में शिक्षण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी में विज्ञान निष्णात (एम.एससी आईटी)।	संस्थानों को संकाय स्थिति में पद के किसी भी स्तर पर सीधी भर्ती के लिए, असाधारण राजपत्र में अधिसूचना (अभातशिप विनियम, 2010) के प्रकाशन के पश्चात् नियुक्ति हेतु इस अर्हता पर विचार नहीं करना चाहिए। तथापि अभातशिप विनियम, 2010 जारी होने से पूर्व इस न्यूनतम मूल अर्हता के आधार पर संकाय के रूप में नियुक्ति किए गए विद्यमान पदधारियों पर, यह अर्हता अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने के तथा निर्धारित उच्च अर्हता, यदि कोई हो, के पूरा करने के अध्यक्षीन, पदों के विभिन्न स्तरों पर कैरियर उन्नति योजना (सीएसएस) के लिए मान्य होगा।
2.	सीएसई एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु अनुप्रयोज्य (लागू) अर्हताएं।	अभातशिप विनियम, 2010 में सीएसई एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों सहित अभियांत्रिकी (इंजीनियरी) और प्रौद्योगिकी के कार्यक्रम में संकाय की नियुक्ति के लिए, न्यूनतम अर्हताएं एवं पात्रता शर्तों को निर्धारित किया गया है।
3.	(क) औषध निष्णात (एम. फार्मा) (गुणवत्ता आश्वासन) अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी के लिए औषध विज्ञान (फार्माक्लॉजी) में व्याख्याता/सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता पर विचार। (ख) चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पात्रता के लिए अन्तर-विषयक पाठ्यक्रम एवं शिक्षण पर विचार।	विधिवत् रूप से गठित चयन समिति की सिफारिशों पर अपने संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/केन्द्र सरकार/विश्वविद्यालय के अनुमोदन से संबंधित संस्थान का शासी मंडल (बीओजी) अभातशिप विनियम, 2010 के अनुसार उपयुक्त निर्णय ले सकता है। उसे इसके पदों के लिए विज्ञापन देते समय यह अधिसूचित करना होगा।
4.	डिग्री एवं डिप्लोमा तकनीकी संस्थाओं में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के उद्देश्य से नीचे उल्लिखित मामलों पर विचार। (क) पहले से खाली पदों (बैकलॉग) तथा नियमित रिक्तियों पर विकलांग (शारीरिक एवं नेत्रहीन) व्यक्तियों की भर्ती हेतु लागू न्यूनतम उत्तीर्ण अर्हता मानदंड में शिथिलता। (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक अंकों में 05 प्रतिशत की छूट। (ग) स्व-वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति की प्रयोज्यता।	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्रीय सरकार की आरक्षण नीति तथा न्यूनतम अर्हता मापदंड में छूट सहित तत्सम्बन्धी श्रेणी के आरक्षण से संबंधित समय-समय पर यथा लागू नियम मान्य होंगे।
5.	संकाय ने जिस प्रासंगिक विधा में बीई/बी.टैक तथा एमई/एम.टैक. की डिग्री प्राप्त की है उस प्रासंगिक क्षेत्र में उपयुक्तता हेतु अन्तः-विषयक केन्द्रों/विभागों से प्रासंगिक क्षेत्रों में पीएच.डी प्राप्त करने वाले संकाय के संबंध में स्पष्टीकरण।	विधिवत् रूप से गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा उनके संबंधित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/केन्द्र सरकार/विश्वविद्यालय के अनुमोदन से संबंधित संस्थान का शासी मंडल (बीओजी) उपयुक्त निर्णय ले सकता है।
6.	होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी) कार्यक्रमों में निष्णात (मॉस्टर)/पी.एचडी डिग्री धारक कार्मिकों की कमी को देखते हुए एचएमसीटी में पीएच.डी अर्हता में छूट देने पर विचार।	यह निर्णय लिया गया कि इस मामले में आगामी निर्णय लेने के लिए इसे एचएमसीटी के अध्ययन मंडल के समक्ष रखा जाएगा।
7.	बी.ई./बी.टैक की कोर शाखाओं से अलग (इतर)	मुद्दा संख्या 5 के अनुसार निपटान किया जाए।

	शाखाओं में प्राप्त उच्च शिक्षा (एम.टैक/पी.एच.डी) की कैरियर उन्नति योजना/पदोन्नति तथा सीधे भर्ती के उद्देश्य से उपयुक्तता तथा समकक्षता के संबंध में स्पष्टीकरण।	
8.	एम.टैक की डिग्री प्राप्त किए बिना उपयुक्त विधा में बी.टैक डिग्री के साथ पी.एच.डी की अर्हता को तकनीकी संस्थाओं में संकाय/प्राचार्य/निदेशक की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड के रूप में अर्हकता पर विचार।	पदों के विभिन्न स्तरों हेतु बीई/बी.टैक की डिग्री के पश्चात् प्रासंगिक विधा में सीधे प्राप्त की गई पीएच.डी की डिग्री तकनीकी संस्थाओं में लागू होगी, बशर्ते की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्धारित पंजीकरण, पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) तथा मूल्यांकन इत्यादि की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रासंगिक विधा में प्राप्त की गई हो अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विधिवत् मान्यता प्रदान किए गए राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आआईटी/आईआईएससी/एनआईटी इत्यादि) द्वारा प्रदान की गई हो। यह भी कि, अभ्यर्थी द्वारा इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातक स्तर पर कम से कम प्रथम श्रेणी प्राप्त की गई होनी चाहिए।
9.	एनआईटी, आईआईटी तथा आईआईएससी बैंगलोर इत्यादि से प्राप्त की गई एमएस डिग्री की इंजीनियरी विधा में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हेतु उपयुक्तता।	एमएस डिग्री सभी उद्देश्यों से, एमई/एम.टैक डिग्री के समकक्ष मानी जाएगी, बशर्ते कि डिग्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान संस्थानों से प्राप्त की गई हो तथा मूल डिग्री प्रासंगिक शाखा में बीई/बी.टैक की होनी चाहिए। प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रदान की गई एमएस डिग्री मान्य होगी। बशर्ते की एमएस डिग्री की समकक्षता को एआईयू द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया हो।
10.	मानविकी और विज्ञान कार्यक्रमों के लिए अभातशिप विनियम, 2010 (डिप्लोमा) में अधिसूचित संकाय मानदण्डों में स्पष्टता अपेक्षित है।	व्याख्याता (लेक्चरर) के पद हेतु अभातशिप विनियम, 2010 में संकाय मानदण्डों के अंतर्गत निर्धारित की गई अर्हताओं को निम्नानुसार पढ़ा जाए : "स्नातक या निष्णात (मॉस्टर) स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ मानविकी एवं विज्ञान के उपयुक्त विषय में निष्णात (मॉस्टर) डिग्री" इसके अतिरिक्त, कैरियर उन्नति योजना (सीएस) के अंतर्गत एक व्याख्याता के रूप में (प्रवरण ग्रेड) में उर्ध्ववर्ती संचलन हेतु प्रासंगिक विषय में पीएच.डी एक अनिवार्य अर्हकता है।
11.	एचएमसीटी विधा में सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए अभातशिप विनियम, 2010 (डिग्री) में अधिसूचित संबंधित किए गए अनुसार संकाय मानदण्डों में स्पष्टता अपेक्षित है।	होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी) में सहायक प्रोफेसर के पद की अर्हता (अभातशिप विनियम, 2010 में निर्धारित किए गए संकाय मानदण्डों के अंतर्गत) को निम्नानुसार पढ़ा जाए : "स्नातक अथवा समकक्ष तथा एचएमसीटी में निष्णात (मॉस्टर) डिग्री प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष ग्रेड, या तो स्नातक अथवा निष्णात (मॉस्टर) स्तर पर
12.	मानविकी और विज्ञान (डिग्री) में सहायक प्रोफेसर/सह (एसोसिएट)-प्रोफेसर/ प्रोफेसर के पदों के लिए पात्रता शर्तों को परिभाषित करना।	मानविकी एवं विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/सह (एसोसिएट) प्रोफेसर/प्रोफेसर के पद के लिए अर्हता/पात्रता शर्तें परिशिष्ट-1 के अनुरूप हैं।
13.	मानविकी और विज्ञान (डिप्लोमा) में विभागाध्यक्ष के पदों के लिए योग्यता अर्हता शर्तों को परिभाषित करना।	प्रासंगिक विषय में पीएच.डी की डिग्री तथा व्याख्याता (लेक्चरर) अथवा समकक्ष के स्तर पर 10 वर्ष का अध्यापन/अनुसंधान/उद्योग के अनुभव सहित अनिवार्य अर्हता, व्याख्याता (लेक्चरर) (मानविकी एवं विज्ञान में) के पद के लिए अनिवार्य अर्हता के समान रहेगी।

14.	डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा के लिए संकाय की नियुक्ति हेतु औद्योगिक अनुभव (शैक्षणिक के अतिरिक्त) के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए।	(i) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कार्य अनुभव को वरीयता दी जाती है। तथापि निजी क्षेत्र का अनुभव मान्य होगा, बशर्ते कि वह उद्योग कम से कम 10 वर्ष से नियमित रूप से सफलता पूर्वक कार्य कर रहा हो। (ii) केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र (अनुभव) जारी करने के पश्चात् ही अनुभव मान्य होगा। (iii) उद्योग का कार्यक्षेत्र विधा के प्रासंगिक क्षेत्र से संबंधित हो। (iv) अनुभव प्रमाण-पत्र में कार्य विवरण (वर्क प्रोफाइल) पदनाम तथा सेवा की अवधि शामिल हो। (v) उद्योग में की गई 50 प्रतिशत सेवा को शिक्षण अनुभव के समकक्ष माना जाएगा बशर्ते की कुल अनुभव कम से कम 10 वर्ष तथा उससे अधिक हो। (vi) अर्हता अभातशिप विनियम, 2010 में निर्धारित किए गए अनुसार होगी।
15.	जैव प्रौद्योगिकी और जैव सूचना (बायो इनफोर्मेटिक्स) पाठ्यक्रमों में संकाय के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।	इन पाठ्यक्रमों के संकाय हेतु वेतनमान अर्हता एवं सेवा शर्तें अभातशिप विनियम, 2010 में इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में पदों के विभिन्न स्तरों के लिए अधिसूचित किए गए अनुसार ही होगी।
16.	डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्थाओं में संकाय के रूप में नियुक्ति हेतु एकीकृत/दोहरी डिग्री कार्यक्रमों को मान्यता—जैसे कि :— (क) बी.ई./बी.टैक—एमबीए पाँच वर्ष की अवधि का एकीकृत कार्यक्रम। (ख) बी.ई./बी.टैक—एम.ई./एम.टैक पाँच वर्ष अवधि का दोहरी डिग्री कार्यक्रम। (ग) डिप्लोमा— बी.ई./बी.टैक 6 वर्ष अवधि की इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी में की गई एकीकृत डिग्री।	मान्यता प्राप्त बी.ई./बी.टैक एकीकृत डिग्री, एकीकृत बी.ई./बी.टैक—एमबीए तथा दोहरी बी.ई./बी.टैक—एम.टैक. डिग्री संकाय की सीधी भर्ती तथा कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के अन्तर्गत पदोन्नति के लिए मान्य होगी।
17.	अभातशिप विनियम, 2000 में दिए गए अनुसार सहायक प्रोफेसर/प्रोफेसर के पद के लिए पीएच.डी अर्हकता के संबंध में स्पष्टीकरण। क्या पीएच.डी. इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में हो।	अधिसूचना स्व-स्पष्टीकृत है, प्रासंगिक विषय में विधिवत् रूप से गठित संस्थान चयन समिति की सिफारिशों पर शासी मंडल (बीओजी)/तकनीकी शिक्षा विभाग/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि "पीएच.डी डिग्री इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में हो" निर्णय ले सकते हैं।

ख. वेतन विनियम से संबंधित मामले

क्रम संख्या	मुद्दे	स्पष्टीकरण
18.	01.01.2006 से पूर्व सीधे भर्ती प्रोफेसर तथा 01.01.2006 के पश्चात् भर्ती किए गए प्रोफेसरों के मूल वेतन में विसंगति का निवारण।	जहाँ 01.01.2006 से पूर्व सीधे भर्ती किये गए वरिष्ठ प्रोफेसर संशोधित वेतनमान में 01.01.2006 के बाद भर्ती किये गए अपने कनिष्ठों से कम वेतन आहरित कर रहे हैं, वहाँ इस विसंगति को दूर करने के लिए, वरिष्ठ प्रोफेसरों का मूल वेतन सीसीएस (आरपी) नियम 2008 के अनुसार उस पद पर उनके कनिष्ठ के नियतन किए गए वेतन बैंड में वेतन की राशि के बराबर बढ़ाई जाएगी। यह बढ़ोतरी उस व्यक्ति की संस्था में सभी विधाओं में सम्पूर्ण वरिष्ठता को लेते हुए, कनिष्ठ के कार्यभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगी।

19.	तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) में अभातशिप विनियम, 2010 के अनुसार वित्तीय प्रोन्नति के समय, एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के कारण क्रमशः वर्ष 2005 एवं 2006 में कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के माध्यम से पदोन्नति प्राप्त करने वाले समान अर्हता वाले वरिष्ठ एवं कनिष्ठ संकाय के वेतन में असमानता।	वेतन में वृद्धि मुद्दा संख्या 18 पर की गई सिफारिशों के समान तरीके से की जाएगी।
20.	डिग्री महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक में सीधी भर्ती किए गए प्राचार्यों के न्यूनतम वेतन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विनियम, 2010 में विसंगति।	वेतनमानों में एकरूपता लाने के क्रम में समिति निम्न सिफारिशें करती है। प्राचार्य (डिग्री) : डिग्री स्तर की तकनीकी संस्थाओं में प्राचार्य का पद रु० 10,000 की एजीपी के साथ रु० 5,000 प्रतिमाह के विशेष भत्ते सहित पीबी-4 (रु० 37,400—67,000) में होगा तथा रु० 43,000 की अवस्था से अन्यून अवस्था में नियत किया जाएगा। सेवारत सभी प्राचार्य रु० 10,000 के एजीपी के साथ पीबी-4 में उपयुक्ततः नियत किए जाएंगे। प्राचार्य (डिप्लोमा) : डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्थाओं में प्राचार्य का पद रु० 10,000 की एजीपी के साथ रु० 2,000 प्रतिमाह के विशेष भत्ते सहित पीबी-4 (रु० 37,400—67,000) में होगा तथा रु० 43,000 की अवस्था से अन्यून अवस्था में नियत किया जाएगा। सेवारत सभी प्राचार्य रु० 10,000 के एजीपी के साथ पीबी-4 में उपयुक्ततः नियत किए जाएंगे।
21.	(क) 01.01.2006 तथा अभातशिप विनियम, 2010 के जारी होने की तिथि के बीच में पाँचवीं सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार पूर्व संशोधित वेतनमान रु० 12,000—18,300 में सीधी भर्ती किए गए सहायक प्रोफेसरों को पीबी-4 में स्थानन नियोजन (प्लेसमेंट)। (ख) कुछ संस्थाओं में जिन्होंने 01.01.2006 से पूर्व, संशोधित वेतनमान रु० 12,000—18,300 में 3 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा प्रदान की है उनका वेतनमान सहायक प्रोफेसर के रूप में नियत किया गया है तथा कुछ अन्य संस्थानों में उन्हें 01.01.2006 से पूर्व के वेतन को संरक्षित करने के साथ पूर्व संशोधित वेतनमान रु० 12,000—18,300 में सहायक प्रोफेसर के रूप में भर्ती किया गया है।	पाँचवे सीपीसी की सिफारिशों के अंतर्गत भर्ती किए गए सहायक प्रोफेसरों का वेतन अभातशिप विनियम, 2010 (डिग्री) के पृष्ठ 21/22 के पैरा क (ix) / (xii) पर निर्धारित किए गए अनुसार ही निर्धारित होगा।
22.	स्पष्टीकरण माँगा गया है कि ईडीपी मैनेजर को शैक्षणिक स्टॉफ अथवा गैर शैक्षणिक स्टॉफ किसके अंतर्गत रख जाएगा।	ईडीपी मैनेजर अभातशिप विनियम के अनुसार अनुमोदित पदनाम नहीं है।
23.	क्या निष्णात (मॉस्टर) डिग्री प्राप्त मानविकी एवं विज्ञान संकाय को एजीपी रु० 6,000 (डिप्लोमा) में रखा जाएगा।	अभातशिप विनियम, 2010 के अनुसार निष्णात (मॉस्टर) डिग्री के साथ मानविकी एवं विज्ञान में व्याख्याता (लेक्चरर) को प्रवेश स्तर पर रु० 5,400 के एजीपी के साथ रु० 15,600—39,100 के वेतनमान में रखा जाएगा। तथापि एम.फिल./पीएच.डी डिग्री धारकों को व्याख्याता (लेक्चरर) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के समय शैक्षणिक ग्रेड वेतन रु० 6,000 के साथ पीबी-3 में रखा जाएगा।

24.	अभातशिप विनियम, 2010 (डिप्लोमा) के खण्ड 1 के (xiv) को पी.एच.डी अर्हक व्याख्याता (लेक्चरर) (प्रवरण ग्रेड) तक बढ़ाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है।	समिति सिफारिश करती है कि ₹0 10,000 का ग्रेड वेतन प्राप्त करने के लिए एपीआई मानदण्ड सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए विचारणीय होगा। अन्य शर्तें अभातशिप विनियम, 2012 (अवस्था-5) में विभागाध्यक्ष (एचओडी) के लिए परिभाषित शर्तों के अनुसार होंगी। तथापि ऐसे पात्र अभ्यर्थियों की ₹0 10,000 की एजीपी अभातशिप विनियम, 2012 के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से पहले नियत नहीं की जाएगी।
-----	--	---

ग. प्रोत्साहन/गैर चक्रवृति (नॉन कम्पाउंड्ड) अग्रिम वेतन वृद्धि से संबंधित

क्रम संख्या	मुद्दे	स्पष्टीकरण
25.	पीएच.डी./एम.टैक अन्य उच्चतर अर्हता के लिए प्रोत्साहन हेतु उच्चतर अर्हता (डिग्री/डिप्लोमा) के लिए गैर चक्रवृति (नॉन कम्पाउंड्ड) अग्रिम वेतन वृद्धि/गैर चक्रवृति (नॉन कम्पाउंड्ड) वेतन वृद्धि की स्वीकार्यता।	(i) पीडीएफ/डी.एससी अध्येतावृत्ति कार्यक्रम पूरा करने पर वेतन वृद्धि नहीं होगी। (ii) जो पहले से निम्न अर्हता के साथ नियमित संकाय के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा जहाँ ऐसी उच्च मूल अर्हता पद के लिए अनिवार्य है/थी उन्हें एम.टैक/एम. फिल अथवा पीएच.डी डिग्री प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं होगी। (iii) सेवा में रहते हुए पीएच.डी./एम.फिल/एम.टैक तथा अन्य समकक्ष अर्हता प्राप्त करने पर गैर चक्रवृति अग्रिम वेतनवृद्धि (तीन/दो/एक) जहाँ अभातशिप विनियम, 2010 लागू होगा वहाँ केवल पीबी-3 (₹0 15,600-39,100) में ही दी जाएगी। पीबी-4 (₹0 37,400-67,000) में सेवा में रहते हुए पीएच.डी./एम. फिल/एम.टैक तथा अन्य समकक्ष अर्हता प्राप्त करने वालों को अग्रिम वेतन वृद्धि की अनुमति नहीं होगी। (iv) सेवा में रहते हुए सीधे भर्ती सह (एसोसिएट) प्रोफेसर द्वारा अथवा पीएच.डी तथा अन्य उच्च अर्हता प्राप्त करने पर कोई अग्रिम वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी तथा उनका मूल वेतन नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा। (v) उनके लिए अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी जिन्होंने सेवा में रहते हुए 01.01.2006 से पूर्व एम.ई./एम. टैक अर्हता प्राप्त की है।
26.	क्या, अभातशिप विनियम, 2010 वेतन वृद्धि पैरा के अंतर्गत उप पैरा (iii) के अनुसार डिग्री/डिप्लोमा तकनीकी संस्थाओं के संकाय कैरियर उन्नति योजना (सीएस) के अंतर्गत प्रोन्नति के समय एजीपी के प्रत्येक उच्च स्तर पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे।	हाँ, यह योजना 'कैरियर उन्नति योजना' (सीएस) के माध्यम से पीबी-3 एवं पीबी-4 की प्रत्येक उच्च अवस्था पर उन्नयित के समय एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। तथापि पीबी-3 से पीबी-4 में संचलन पर कोई अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं होगी। पाँचवीं सीपीसी में निम्न वेतनमान से उच्च वेतनमान में प्रोन्नति पर वेतन वृद्धि की विद्यमान योजना के बावजूद, जो भी हो लागू होगी।
27.	तीन गैर चक्रवृति (नॉन कम्पाउंड्ड) वेतन वृद्धियों प्राप्त करने की पात्रता संगत शाखा/विधा में पीएच.डी की डिग्री की अनुप्रयोज्यता की प्रभावी तिथि (पूर्णव्यापी)/भावी/ऐसे संकाय जिन्होंने अभातशिप विनियम, 2010 जारी होने/लागू होने से पूर्व पीएच.डी डिग्री में पंजीकरण करवा लिया/प्राप्त कर ली।	अभातशिप विनियम, 2010 के पीएच.डी/एम.टैक तथा अन्य उच्च अर्हताओं के लिए प्रोत्साहन पैरा के अन्तर्गत उप पैरा (v) लागू होगा। ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
28.	यदि संकाय आईआईटी, आईआईएम तथा	ये संस्थाएं राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं

	आईआईएससी, एनआईटी, बीआईटीएस इत्यादि से पीएच.डी डिग्री प्राप्त करते हैं, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है परंतु यूजीसी/अभातशिप से न तो अनुमोदन प्राप्त है ना ही मान्यता प्राप्त हैं, उनकी तीन गैर चक्रवृत्ति (नॉन कम्पाउंड्ड) वेतन वृद्धि के लिए मान्यता।	द्वारा प्रदान की गई पीएच.डी डिग्री गैर-चक्रवृत्ति वेतन वृद्धि देने सहित सभी उद्देश्यों के लिए मान्य होंगी।
--	--	--

(घ) कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) से संबंधित मुद्दे :

क्रम सं०	मुद्दे	स्पष्टीकरण
29.	कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के अंतर्गत 01.01.2006 से पूर्व उन्नयित प्रोफेसर के वेतन को 01.01.2006 से 10,0000 रु के एजीपी के साथ 43,000 रु के न्यूनतम मूल वेतन में नियत करना।	वेतन का नियतन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 01.01.2006 को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन नियतन तालिका के अनुसार ही होगी।
30.	क्या सीएएस के माध्यम से उन्नयित प्रोफेसर तथा सीधे भर्ती हुए प्रोफेसर के अनुभव को इंजीनियरी महाविद्यालय (कॉलेजों) में प्राचार्य की भर्ती के प्रयोजन के लिए समान समझा जाएगा।	जी हाँ, तथा यह अर्हता की तारीख से होगा।
31.	अभातशिप विनियम, 2012 (डिप्लोमा) पैरा 3 में स्पष्टता अपेक्षित है।	शुद्धिपत्र अनुबंध-II में संलग्न है।
32.	(क) एचएजी मान (स्केल) में उच्च ग्रेड प्रोफेसर के वेतन मान को निर्धारित करने के लिए यूजीसी तथा अभातशिप विनियम, 2010 के मध्य विसंगति। (ख) एचएजी स्केल को उच्च ग्रेड प्रोफेसर में प्रदान करने के लिए प्रवरण समिति की संरचना का प्रारूप।	(क) वेतन मानों की एकरूपता के लिए समिति 'उच्च ग्रेड प्रोफेसरों के 10 प्रतिशत पदों को एचएजी स्केल में उन्नयित करने' की सिफारिश करती है। अभातशिप विनियम, 2010 (डिग्री) का पैरा [क (XV)] को निम्न में प्रतिस्थापित किया जाता है :- प्रतिमाह 12,000 रु के शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 (37,400-67,000) को 67,000 रु (वार्षिक वेतन-वृद्धि 3 प्रतिशत की दर से) - 79,000 रु के नए एचएजी स्केल के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। जिसमें ग्रेड वेतन नहीं है। 12,000 रु का एजीपी अब विद्यमान नहीं है। वेतन के उपर्युक्त मान (स्केल) में जाने की अर्हता की अन्य शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी। (ख) प्रवरण समिति की संरचना वही होनी चाहिए जो अभातशिप विनियम, 2012 में प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित की गई है जिसमें सभी विशेषज्ञ एचएजी अथवा उच्च वेतनमान वाले होंगे। उक्त वेतनमान में जाने के लिए एपीआई तथा अन्य न्यूनतम शर्तें वही होंगी जैसी कि अभातशिप विनियम, 2012 में प्रोफेसर के पद (अवस्था 6) के लिए निर्दिष्ट की गई है।
33.	(क) सीएएस के अंतर्गत सेवा की गणना के लिए पूर्व सेवा अभिलेख को सत्यापित करने की प्रक्रिया। (ख) वरिष्ठ संकाय के वेतन को सीसीएस/एफआर एवं एसआर नियमों द्वारा प्रभावित सरकारी संस्थाओं में कनिष्ठों (जिन्हें सीएएस के प्रयोजन के लिए निजी (प्राइवेट)/सरकारी संस्थाओं में की गई सेवा का लाभ प्रदान किया गया है) के समकक्ष उन्नयित करने पर विचार। (ग) पूर्व में की गई सेवा की कुल कितनी अवधि संकाय को सीएएस के प्रयोजन के लिए गिनी जाएगी।	(क) सीएएस के लिए पूर्व सेवा की गणना की जाएगी, यदि पूर्ण सेवा का अभिलेख अनुमोदन प्राधिकारी (विश्वविद्यालय/राज्य सरकार का तकनीकी विभाग) प्रमाणित करता है तथा पूरा सेवा रिकार्ड भारत सरकार के नियमों के अनुरूप हों। (ख) उन्नयन यथा अनुमेष भारत सरकार के एफआर एवं एस आर नियमों के अनुरूप होगा। (ग) प्रवरण समिति की सिफारिश के आधार पर, केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार नियुक्ति के समय उनके सन्नियमों/ निबंधनों और शर्तों के अनुसार निर्णय लेगी।
34.	सीएएस के माध्यम से वेतनमान के क्रियान्वयन की तारीख अर्थात् पी.एच.डी. की पूर्ति की तारीख से अथवा कोई अन्य, जहां ऐसी योग्यता अनिवार्य है।	सीएएस के क्रियान्वयन की प्रभावी तारीख पद के लिए अनिवार्य योग्यता अर्जित करने की तारीख से है, जो समय-समय पर जारी अभातशिप के विनियमों/ अधिसूचनाओं में यथा निर्धारित पात्रता की अन्य शर्तों की

		पूर्ति के अध्वधीन है।
35.	क्या 2012 में जारी सीएएस दिशा-निर्देश (डिग्री/डिप्लोमा) अभातशिप विनियम, 2010 के अनुक्रम में हैं तथा इसकी प्रयोजनीयता विद्यमान पदधारियों पर लागू है।	अभातशिप विनियम, 2012 अभातशिप विनियम, 2010 के क्रम में जारी किए गए हैं। निर्धारित की गई सभी शर्तें विद्यमान पदधारियों के लिए तथा समस्त नए भर्ती हुए शिक्षकों के लिए लागू होंगी। (जैसाकि अभातशिप विनियम, 2012 में परिभाषित किया गया है), जब तक कि अलग से अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। यह विनियम अभातशिप विनियम, 2012 के नियम 1.3 के परन्तुक के अनुसार लागू है।
36.	क्या राज्य/केन्द्रीय सरकार संस्थान/ संकाय के कार्य आबंटन/पाठ्यचर्या आदि के अनुसार अभातशिप विनियम, 2012 (डिप्लोमा) में प्रस्तावित सीएएस दिशा-निर्देशों को संशोधित कर सकती है क्योंकि पीएच.डी/एम.टेक परियोजनाएं डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में मार्गदर्शित/संचालित नहीं होती हैं।	जी नहीं।
37.	विभागीय आधार पर प्रोन्नत विभागाध्यक्ष /प्राचार्या के पद के लिए सीएएस दिशा-निर्देशों की प्रयोजनीयता जैसीकि अभातशिप विनियम, 2012 (डिप्लोमा) में निर्धारित की गई है।	जी हाँ, अभातशिप विनियम, 2012 में अधिसूचित दिशा-निर्देश समस्त पात्र संकाय सदस्यों की मेरिट पर विचार करते हुए विभागाध्यक्ष/प्राचार्या के पद पर विभागीय प्रोन्नति के लिए भी लागू है।
38.	05 मार्च, 2010 तथा 08 मार्च, 2012 को अभातशिप विनियम, 2012 जारी होने के बीच एपीआई अंक (डिग्री/डिप्लोमा) में छूट देने के लिए विचार।	एपीआई अंक में शिथिलता सरकारी राजपत्र में अभातशिप विनियम, 2012 के जारी होने से केवल 03 वर्ष की अवधि (07.11.2015 तक) ही लागू है। इसके पश्चात्, एपीआई अंक क्रियान्वित किए जाएंगे।
39.	सीएएस के अंतर्गत 37,400-67,000 (एजीपी 9,000) के वेतन बैंड में सह (एसोसिएट) प्रोफेसर के रूप में जाने के लिए सहायक प्रोफेसर (एजीपी 8,000) की पात्र शैक्षिक अर्हता के संबंध में अभातशिप विनियम, 2012 (डिग्री) के पैरा 3.8 (पृष्ठ-44) में स्पष्टता अपेक्षित है।	अभातशिप विनियम, 2012 (डिग्री) के पैरा 3.8 के अनुसार।
40.	गैर इंजीनियरिंग कार्यक्रमों (डिप्लोमा) में प्रत्यक्ष भर्ती तथा सीएएस के लिए संकाय सन्निधियों जैसेकि :- सौंदर्य विज्ञान एंड स्वास्थ्य, फैशन डिजाइन, परिधान निर्माण प्रौद्योगिकी, आंतरिक साज-सज्जा, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, सौंदर्य संवर्धन, आधुनिक कार्यालय की प्रक्रियाएं, व्यावसायिक कला और एमएलटी के विषय-क्षेत्रों के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा और उन्हें जारी करना।	यह अनुबंध-III के अनुसार होगा।
41.	अभातशिप अधिसूचना जारी होने से पूर्व नियुक्त हुए (01.01.1996 से 15.03.2000 तक) पुस्तकालयाध्यक्षों और पीटीआई की शैक्षिक अर्हताओं में सीएएस (डिग्री/डिप्लोमा) के प्रयोजनार्थ शिथिलता करने पर विचार।	(क) डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के लिए : डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में विद्यमान भर्ती नियमों के साथ 01.01.1996 और 15.03.2000 के बीच भर्ती हुए पुस्तकालयाध्यक्षों और पीटीआई पर केवल वरिष्ठ मान के आगामी उच्च ग्रेड में सीएएस के अंतर्गत उन्नयन के लिए मान्य होंगे। तथापि, सीएएस के अंतर्गत किसी आगामी उर्ध्ववर्ती संचलन के लिए, उन्हें उसी रीति में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्जित करनी अपेक्षित होगी जो अभातशिप अधिसूचना 2000 (डिग्री) तथा पश्चात्पूर्व स्पष्टीकरणों/अधिसूचनाओं में विनिर्धारित की गई है। (ख) डिग्री स्तरीय संस्थाओं के लिए : ऊपर के ही समान।

42.	अभातशिप विनियम, 2010 के जारी होने से पूर्व नियुक्त हुए प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी में व्याख्याताओं की सीएएस (डिग्री/डिप्लोमा) के प्रयोजनार्थ शैक्षिक योग्यताओं को शिथिल करने पर विचार।	(क) डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं के लिए : डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं में 01.01.1996 और 30.12.1999 के बीच भर्ती हुए प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी में व्याख्याता, जो विद्यमान भर्ती नियमों के साथ नियुक्त हुए हैं, पर केवल व्याख्याता के आगामी उच्च ग्रेड (वरिष्ठ मान) में सीएएस के अंतर्गत उन्नयन के लिए मान्य होंगे। तथापि, सीएएस के अंतर्गत किसी आगामी अग्रगामी संचलन के लिए उन्हें अभातशिप डिप्लोमा अधिसूचना, 1999 तथा पश्चात्पूर्वी स्पष्टीकरण/अधिसूचनाओं में विनिर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं अर्जित करनी अपेक्षित होंगी। (ख) डिग्री स्तरीय संस्थाओं के लिए ऊपर के ही समान।
43.	अभातशिप अधिसूचना 1999, पैरा 8.3 में यथा विनिर्धारित निष्णात डिग्री की प्रयोजनीयता व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) से मानविकी और विज्ञान में व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) में उन्नयन के लिए।	अभातशिप अधिसूचना 1999 (डिप्लोमा) के पैरा 8.3 में विनिर्दिष्ट योग्यता मानविकी और विज्ञान पर सीएएस के अंतर्गत व्याख्याता (वरिष्ठ मान) के व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) में उर्ध्ववर्ती संचलन के लिए लागू नहीं होती है। मानविकी और विज्ञान व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) में उर्ध्ववर्ती संचलन के लिए एम.फिल/पीएचडी. एक अनिवार्य योग्यता है।
44.	(क) अभातशिप अधिसूचना दिनांक 30.12.1999 के पैरा 9.2 (ख) के संबंध में सीएएस के लिए पूर्व सेवा के गणना के प्रयोजनार्थ फाइल संख्या. एफडी/पीएसएससी/स्पष्टी/2003/01, दिनांक 10.09.2003 द्वारा जारी अभातशिप के स्पष्टीकरण की मुद्दा संख्या 10 की प्रयोजनीयता। (ख) सीएएस के अंतर्गत पूर्व सेवा की गणना के प्रयोजनार्थ अभातशिप अधिसूचना 1989 (डिप्लोमा) में विनिर्दिष्ट योग्यताओं को शिथिल करने पर विचार।	(क) सीएएस के अंतर्गत पूर्व सेवा की गणना के लिए अभातशिप की अधिसूचना दिनांक 30.12.1999 के पैरा 9.2 (ख) के संबंध में कोई शिथिलता प्रदान नहीं की गई है। पैरा 9.2 (ख) को यथावत् ही पढ़ा जाए। (ख) कोई छूट अनुमेष नहीं है।
45.	अभातशिप विनियम, 2010 में पॉलीटैक्निक के व्याख्याता के पैरा क (ix) में 01.01.2006 से पूर्व व्याख्याता (वरिष्ठमान) के रूप में पूर्व -संशोधित वेतन मान (10,000-15,200 रु0) में की गई सेवा की अवधि को व्याख्याता के 7,000/- रु0 के एजीपी से 8,000/-रु0 के एजीपी में उर्ध्ववर्ती संचलन के लिए गणना के बारे में आमंत्रित स्पष्टीकरण।	7,000/-रु. के एजीपी से 8,000/- रु. के एजीपी में व्याख्याता के उर्ध्ववर्ती संचलन के लिए अभातशिप विनियम, 2010 में निर्दिष्ट अवधि की गणना तदनुरूपी, पूर्व-संशोधित वेतनमान में व्याख्याता के तत्स्थापित की तारीख से की जाएगी।

(इ) विविध मुद्दे

क्रम सं.	मुद्दे	स्पष्टीकरण
46.	अध्ययन अवकाश के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।	अध्ययन अवकाश के लिए दिशा-निर्देश अनुबंध-IV पर संलग्न हैं।
47.	(क) विश्वविद्यालय पॉलीटैक्निक के समान पॉलीटैक्निक के संकाय के पदनामों में परिवर्तन पर विचार। इसमें कोई वित्तीय विवक्षा (इंपलिकेशन) शामिल नहीं होनी चाहिए।	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें बिना किसी वित्तीय विवक्षा के पदनामों की नामावली में परिवर्तन के इस मुद्दे को लागू कर सकती हैं।
	(ख) सरकारी पॉलीटैक्निक संस्थान के नियमित प्राचार्य की डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्था में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता पर विचार।	यथास्थिति बरकरार रखी जाए।
	(ग) ऐसे संकाय को यूजीसी सन्निधियों के अनुसार वेतन का लाभ देने पर विचार जो अभातशिप सन्निधियों के समान अर्हता धारण करने वाले अनुमोदित शिक्षकों के	यथास्थिति बरकरार रखी जाए।

	संवर्ग से स्थापना में सहायक रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त हो गए हैं।	
48.	क्या शिक्षण/शोध में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव धारण करने वाला इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी का कोई संकाय, जिसमें से 03 वर्ष विभागाध्यक्ष के समकक्ष समान ग्रेड वेतन (अर्थात् 9,000/रु.) में है, पॉलीटेक्निक में प्राचार्या के पद के लिए पात्र है।	जी हाँ, बशर्ते कि व्यक्ति के पास न्यूनतम 03 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव भी है।
49.	(क) डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में फोरमैन इंस्ट्रक्टर के पदों के लिए परिभाषित वेतन मानों, सेवा शर्तों और सीएएस की अपेक्षा। (ख) अभातशिप विनियमों के अंतर्गत शामिल डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में गैर-शिक्षण तथा अन्य पदों के लिए भर्ती नियम तैयार करना।	संबंधित केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार, संबंधित सरकार के नियमों के अनुसार उनके वेतनमानों, योग्यताओं और सेवा-शर्तों का निर्णय लें।
50.	अभातशिप, मासविमं, यूजीसी तथा अन्य संगठनों में तैनात संकाय के लिए सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए एसीआर/स्व-मूल्यांकन निष्पादन रिपोर्ट में शिथिल शैक्षिक निष्पादन सूचकांक (एपीआई) पर विचार तथा अनुभव की गणना।	विनियामक/परामर्शकारी निकायों तथा राज्य/केन्द्रीय सरकार की वित्त-पोषण एजेंसियों में प्रति-नियुक्ति/पुनर्ग्रहणाधिकार /बाह्य संवर्ग सेवा पर नियुक्त शिक्षकों की एपीआई अपेक्षाएं इस प्रकार होंगी : एसीआर/स्व-मूल्यांकन निष्पादन रिपोर्ट को एपीआई के समकक्ष माना जाएगा, बशर्ते कि उम्मीदवार ने एसीआर में कम-से-कम 'बहुत अच्छा' अथवा उससे ऊपर की कोटि प्राप्त की हो।
51.	डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में यूजीसी के समकक्ष दृष्टि के संबंध में भिन्न रूप में समर्थ श्रेणी के संकाय के लिए रीडर्स भत्ते की प्रयोजनीयता।	दृष्टि के संबंध में भिन्न रूप से समर्थ श्रेणी के संकाय के लिए रीडर्स भत्ता यूजीसी के दिशा-निर्देशों के समान होगा।
52.	शिक्षण पद, शोध-सह-शिक्षण पद अथवा महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्य के लिए आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए प्रदान की गई असाधारण छुट्टी (ईओएल) की अवधि की गणना अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में यूजीसी के समकक्ष वेतन वृद्धि के प्रयोजन के लिए करने पर विचार।	शिक्षण पद, शोध-सह-शिक्षण पद, फेलोशिप, शैक्षणिक प्रशासनिक पद तथा किसी अन्य समान प्रकृति/महत्व के कार्य के लिए आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए प्रदान की गई असाधारण छुट्टी की गणना परिकल्पित वेतन वृद्धि और सीएएस के प्रयोजन के लिए की जाएगी।
53.	क्या सहायक प्रोफेसर (जिन्हें 01.11.2006 से सह (एसोसिएट) प्रोफेसर के रूप में पुनः पदनामित किया गया है) जो कार्य ग्रहण करने की तारीख (सीधे/सीएएस) से 07 वर्ष में पीएचडी पूर्ण करने में सफल नहीं रहे हैं, को पुनः उसी पद पर लाया जाएगा।	ऐसे उम्मीदवारों को कार्यग्रहण करने की तारीख से 07 वर्ष के भीतर पीएचडी पूर्ण करनी आवश्यक है जिसके न करने पर पीएचडी हासिल करने तक उनकी वेतन-वृद्धि रोक ली जाएगी।
54.	सीएएस प्रोन्नत संकाय इंटर-सी सीनियोरिटी (वित्तीय उन्नयन) तथा प्रत्यक्ष भर्ती हुए संकाय की पारस्परिक वरिष्ठता पर स्पष्टीकरण।	संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के नियमों के अनुसार।
55.	पूर्व-संशोधित (पांचवा केन्द्रीय वेतन आयोग/सीपीसी) वेतनमानों में इंजीनियरी कॉलेजों के प्राचार्यों की पेंशन निर्धारित करने पर विचार, उन्हें 12,000/— रु. के ग्रेड वेतन वैकल्पिक तौर पर 10,000/—रु. के ग्रेड वेतन तथा प्रशासनिक भत्ता 3,000/—रु. के साथ 19,400—22,400/— रु. पर माना जाए।	ग्रेड वेतन तथा वेतन बैंड की अवधारणा पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग में नहीं थी।
56.	क्या मानविकी अथवा विज्ञान के संकाय को तकनीकी संस्थाओं के प्राचार्य/निदेशक के पद के लिए पात्र समझा जाता है।	जी नहीं।
57.	डिग्री और डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष तथा शारीरिक शिक्षा एवं खेल निदेशक/शारीरिक शिक्षा एवं खेल उप निदेशक/शारीरिक शिक्षा एवं खेल सहायक निदेशक के संवर्गों के लिए सीएएस हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना।	इन पदों के लिए एपीआई अंक पैटर्न के लिए अनुदेश अभातशिप विनियम, 2012 के पैरा III (iv), पीबीएस प्रोफार्मा के भाग (ख) भरने के अंतर्गत दिए गए अनुदेशों में स्पष्ट किए गए हैं। इन पदों के लिए, कैरियर संवर्धन योजना, पात्रता के मानदण्ड तथा एपीआई, प्रवरण समिति की संरचना वही

		होगी जो यूजीसी विनियम, 2010 में विनिर्दिष्ट है। तथा विश्वविद्यालयों में लागू है।
58.	उनके लिए जिन्होंने V और VI अभातशिप अधिसूचनाओं (डिग्री/डिप्लोमा) में वरिष्ठ से प्रवरण ग्रेड के दौरान पीएचडी पूर्ण की है, व्याख्याता (वरिष्ठ मान) से व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड)/सहायक प्रोफेसर (7,000/- से 8,000/- रु0 एजीपी में) में जाने के लिए 04 वर्ष की न्यूनतम पात्रता पर विचार करना।	04 वर्ष का लाभ उन शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने व्याख्याता से व्याख्याता (वरिष्ठ मान)/सहायक प्रोफेसर (6,000 से 7,000/- रु. के एजीपी में) में जाने के दौरान ऐसी छूट का लाभ नहीं उठाया है।
59.	(क) अभातशिप विनियम, 2010 के पैरा (क) (vii) में यथा उल्लिखित 5,000/- रु. के एजीपी में स्पष्टता अपेक्षित है। (ख) सीएस के लिए एक सप्ताह प्रत्येक के दो टीईक्यूआईपी कार्यक्रमों में छूट देने पर विचार।	(क) यह टंकण की त्रुटि है। एजीपी 5,000/- रु. को एजीपी 5,400/- रु. पढ़ा जाए। (ख) दो, एक-एक सप्ताह के अभातशिप/यूजीसी/मासविम/डीएसटी/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को भी टीईक्यूआईपी कार्यक्रमों के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाए।
60.	अभातशिप विनियम, 2010 में संकाय सन्निधियों के अंतर्गत विभागाध्यक्ष के पद के लिए विनिर्दिष्ट पदों की तुलना में अभातशिप विनियम 2012 द्वारा व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) के पद के साथ उच्च योग्यता संबद्ध की गई है। अभातशिप विनियम, 2010 (डिप्लोमा) में सीधी भर्ती के लिए तथा विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से विभागाध्यक्ष के पद के लिए विनिर्दिष्ट योग्यताओं में स्पष्टता आवश्यक है।	डिप्लोमा संस्थाओं में विभागाध्यक्ष के पद के लिए शैक्षिक योग्यता व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) के पद के लिए विनिर्दिष्ट योग्यता से कम नहीं होगी।
61.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारी संस्थाओं में सीएस के प्रयोजनार्थ शिक्षकों द्वारा की गई पूर्व सेवा की गणना के बारे में उपबंध को विस्तारित करते समय, जैसाकि अभातशिप अधिसूचना/विनियम में विनिर्धारित है, संकाय के मध्य वेतन विसंगति सृजित की गई है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारी संस्थाओं में, जहां सेवा-शर्तें सीसीएस, एफआर एवं एसआर नियमों के अंतर्गत विनियमित होती हैं, सृजित विसंगति/अनियमितता को दूर करने पर विचार किया जाना अपेक्षित है।	संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के नियमों के अनुसार।
62.	तकनीकी संस्थाओं में प्राचार्य/निदेशक की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ (संकाय सन्निधियम अभातशिप विनियम 2010) 'शैक्षणिक प्रशासन' में अनुभव को मान्य करना।	जी हाँ।
63.	अभातशिप विनियम, 2012 (डिप्लोमा) में तालिका III (पृष्ठ 49) स्तंभ 4 में : व्याख्याता (अवस्था 4) से (अवस्था 5) -उप पैरा (ii) में स्पष्टता अपेक्षित।	उप पैरा (ii) को इस प्रकार पढ़ा जाए: शिक्षक के (अवस्था 4) में रखे जाने की अवधि के बाद से न्यूनतम 03 प्रकाशन।
64.	क्या डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में प्राचार्य के पद के लिए पीएच.डी एक अनिवार्य योग्यता है।	जी हाँ।
65.	क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार के सन्निधियों को ऐसे संकाय के कैरियर संवर्धन के लिए (अर्थात् एमएसीपी/एसीपी) विस्तारित किया जा सकता है। जिनके पास डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में अभातशिप सन्निधियों के अनुसार योग्यता नहीं है।	जी नहीं।
66.	अभातशिप वेतन विनियम, 2010 के अनुसार डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) में संकाय के लिए शिक्षण भार क्या होगा?	शिक्षक पर कार्यभार एक सप्ताह में 40 घंटे से कम नहीं होना चाहिए जिसमें से शिक्षक संपर्क घंटे इस प्रकार होंगे— (क) डिग्री स्तरीय : सहायक प्रोफेसर - 16 घंटे / सप्ताह सह (एसोसिएट) प्रोफेसर - 12 घंटे / सप्ताह प्रोफेसर - 8 घंटे / सप्ताह

		निदेशक / प्राचार्य – 4 घंटे / सप्ताह (ख) डिप्लोमा स्तरीय : व्याख्याता – 18 घंटे / सप्ताह व्याख्याता (वरिष्ठ मान) – 16 घंटे / सप्ताह विभागाध्यक्ष / व्याख्याता – 14 घंटे / सप्ताह (प्रवरण ग्रेड) प्राचार्य – 6 घंटे / सप्ताह
67.	तकनीकी शिक्षा में संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए एम.ई./एम.टेक. डिग्री, संपर्क माध्यम (अर्थात् नियमित/अंशकालिक) से प्राप्त की गई, के साथ एएमआईई डिग्री को मान्य करना।	जी हों।
68.	डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में प्रशिक्षण और नियोजन अधिकारी के पदों के लिए वेतनमानों, अर्हकताओं, सेवा-शर्तों और सीएस पर विचार।	इन्हें अनुबंध-V में परिभाषित किया गया है।

प्रो० अविनाश एस. पंत, उपाध्यक्ष
[विज्ञापन-III/4/असा. 310]

अनुबंध- I

डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में मानविकी और विज्ञान में संकाय के लिए योग्यताएं

डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में विभिन्न स्तरों के पदों पर संकाय (मानविकी और विज्ञान) के लिए योग्यताएं नीचे दी गई हैं। अन्य निबंधन और शर्तें अभातशिप विनियम सं० 37-3/विधि/अभातशिप/2010 दिनांक 5 मार्च, 2010 तथा सं० 37-3/विधि/अभातशिप/2012 दिनांक 8 नवम्बर, 2012 में डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं जो अपरिवर्तनीय हैं।

क. सहायक प्रोफेसर :

- किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से "स्नातक या निष्णात (मॉस्टर) स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ मानविकी एवं विज्ञान के उपयुक्त विषय में निष्णात (मॉस्टर) डिग्री"।
- उक्त योग्यता की पूर्ति करने के अलावा, उम्मीदवार द्वारा यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित कोई समान परीक्षा जैसे एसएलईटी/एसईटी भी उत्तीर्ण की गई हो।
- इस खण्ड के उपखण्ड (i) और (ii) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए, ऐसे उम्मीदवार को जिसके पास 2009 से पूर्व प्रदान की गई पीएच.डी डिग्री प्रदान करने के लिए (न्यूनतम मानक और प्रक्रिया विनियम, 2009 के अनुसार 2009 के पश्चात् पीएच.डी डिग्री) प्रदान की गई है, तकनीकी संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर के रूप में भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की न्यूनतम योग्यता शर्त की अपेक्षा में छूट प्रदान की जाएगी।

ख. सह (एसोसिएट) प्रोफेसर :

- सहायक प्रोफेसर के पद के लिए उपर्युक्तानुसार योग्यता तथा प्रासंगिक विषय में पीएच.डी।
- सहायक प्रोफेसर के समकक्ष किसी शैक्षणिक/शोध पद पर शिक्षण अथवा शोध का न्यूनतम 06 वर्ष का अनुभव तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जर्नल (पत्रिका) में बेहतर प्रभाव कारक के साथ न्यूनतम 03 प्रकाशन।
- अभातशिप विनियम, 2012 में निर्धारित किए गए अनुसार मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित निष्पादन (पीबीएस) के आधार पर शैक्षिक निष्पादन संकेतक (एपीआई) में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम अंक।

ग. प्रोफेसर :

- सह (एसोसिएट) प्रोफेसर के पद के लिए अर्हकता उपर्युक्तानुसार।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में न्यूनतम 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव और/अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्था/उद्योग में शोध में अनुभव जिसमें से 5 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में होने चाहिए। जिसमें डॉक्टोरल स्तर पर शोध के लिए उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करने का अनुभव भी शामिल है।

अथवा

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में न्यूनतम 13 वर्ष का शिक्षण अनुभव और/अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्था/उद्योग में शोध में अनुभव।

iii. प्रकाशित कार्य का साक्ष्य जिसमें न्यूनतम 4 प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जर्नल में बेहतर प्रभाव कारक के साथ हों।

iv. निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) के आधार पर शैक्षिक निष्पादन संकेतक (एपीआई) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अंक, जिसे अभातशिप विनियम, 2012 में इस विनियम में निर्दिष्ट किया गया है।

अनुबंध- II

पैरा-3 तथा तालिका 2 (क) के संबंध में अभातशिप विनियम, 2012 (डिप्लोमा) का शुद्धिपत्र

3.	पदधारी तथा नए नियुक्त हुए व्याख्याता की कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत प्रोन्नति की अवस्था : अभातशिप विनियम २०१२ (डिप्लोमा) का पैरा-३
3.1	प्रवेश स्तर व्याख्याता (अवस्था 1) तीन क्रमिक अवस्थाओं (अवस्था 2, अवस्था 3 और अवस्था 4) के माध्यम से कैरियर संवर्धन योजना (सीएएस) के अंतर्गत प्रोन्नति का पात्र होगा, बशर्ते कि उसे आगामी खण्ड में यथानिर्धारित पात्रता एवं निष्पादन मापदण्ड की पूर्ति करने के लिए मूल्यांकित किया गया हो।
3.2	भूतलक्षी सूचना संकलित करने की समस्याओं का निराकरण करने तथा सीएएस प्रोन्नति में 5 मार्च, 2010 से इन विनियमों के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए एपीआई आधारित पीबीएएस को उत्तरोत्तर तथा भविष्यप्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। तदनुसार, श्रेणी- I और II के एपीआई अंकों के आधार पर पीबीएएस, जैसाकि परिशिष्ट-I की तालिकाओं में उल्लेख किया गया है, एक वर्ष के लिए क्रियान्वित की जानी है, जो प्रारंभ में कॉलेज शिक्षकों के लिए तालिका 2 (क) में वर्णित किए गए अनुसार न्यूनतम वार्षिक अंकों के साथ केवल एक वर्ष के लिए विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विद्यमान प्रणालियों के आधार पर होगा। इन वार्षिकीकृत एपीआई अंकों तत्पश्चात् उस समय उत्तरोत्तर रूप से संचयित किया जाता है जब शिक्षक अगले संवर्ग में सीएएस प्रोन्नति के लिए पात्र बन जाता है। अतः यदि किसी शिक्षक पर 2013 में सीएएस प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, तो केवल 2012-13 के लिए एक वर्ष के एपीआई अंक आकलन के लिए अपेक्षित होंगे। 2014 में सीएएस प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले शिक्षकों के मामले में, इन श्रेणियों के लिए एपीआई अंकों के दो वर्ष का औसत आकलन के लिए अपेक्षित होगा तथा पूर्ण आकलन अवधि के लिए उन पर उत्तरोत्तर रूप से विचार किया जाएगा।
3.3	प्रासंगिक विषयक्षेत्र में पीएच.डी डिग्री धारण करने वाले पदधारी तथा नए भर्ती हुए व्याख्याताओं को रु. 6000 (अवस्था 1) के एजीपी के साथ रु0 15600-39100 के वेतन बैंड में रखा जाएगा तथा वे व्याख्याता के रूप में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत व्याख्याता (वरिष्ठ मान) के रूप में रु. 7000 (अवस्था 2) के आगामी उच्च ग्रेड में जाने के लिए पात्र होंगे।
3.4	पदधारी एवं नई भर्ती हुए और एम.फिल डिग्री अथवा प्रासंगिक सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री धारण करने वाले व्याख्याता को 6000 (अवस्था 1) के एजीपी के साथ रु. 15600-39100 के वेतन बैंड में रखा जाएगा तथा वे व्याख्याता के रूप में पाँच वर्ष के समाप्ति के उपरांत व्याख्याता (वरिष्ठ मान) के रूप में रु. 7000 (अवस्था 2) के आगामी उच्च ग्रेड में जाने के लिए पात्र होंगे।
3.5	पदधारक अथवा उपयुक्त शाखा/विषय क्षेत्र में बी.ई./बी.टैक योग्यता के साथ नए भर्ती हुए व्याख्याता चाहे शिक्षण व्यवसाय में नया प्रवेश कर रहे हों अथवा पॉलिटेक्निक संस्थाओं में पहले से ही व्याख्याता हों, उन्हें व्याख्याता के रूप में पदनामित किया जाएगा तथा रु0 5400 की एजीपी के साथ रु0 15600-39100 के वेतन बैंड में रखा जाएगा तथा वे उपयुक्त शाखा/विषयक्षेत्र में निष्णात योग्यता पूर्ण करने पर रु0 6000 की एजीपी में जाएंगे। इसके अलावा, पदधारक और नए भर्ती हुए व्याख्याता, जिनके पास पीएच.डी अथवा कार्यक्रम की प्रासंगिक शाखा/विषयक्षेत्र में निष्णात डिग्री नहीं है, व्याख्याता के रूप में 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् ही व्याख्याता (वरिष्ठ मान) के रूप में रु0 7000 (अवस्था 2) की एजीपी के लिए पात्र होंगे।
3.6	प्रविष्टि स्तर ग्रेड (अवस्था 1) से व्याख्याता (वरिष्ठ मान) के रूप में रु. 7000 (अवस्था 2) के आगामी उच्च ग्रेड में उर्ध्ववर्ती संचलन के लिए सभी व्याख्याता इन विनियमों में अभातशिप द्वारा यथा निर्धारित एपीआई आधारित पीबीएएस शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन रहेंगे।
3.7	ऐसे व्याख्याता (वरिष्ठ मान) जिन्होंने रु. 7000 (अवस्था 2) के ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, वे इन विनियमों द्वारा निर्धारित एपीआई आधारित पीबीएएस अपेक्षाओं की पूर्ति के अध्यधीन रु. 15600-39100 के वेतन बैंड में व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) के रूप में रु. 8000 (अवस्था 3) के आगामी उच्च ग्रेड में जाने के लिए पात्र होंगे।
3.8	रु0 8000 (अवस्था-3) के ग्रेड में शिक्षण के तीन वर्ष पूर्ण करने वाले व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट एपीआई आधारित पीबीएएस अपेक्षाओं तथा अर्हता शर्तों के अध्यधीन आगामी उच्च रु. 9000 (अवस्था 4) ग्रेड के साथ रु. 37400-67000 के वेतन बैंड में जाने के लिए पात्र होंगे तथा उन्हें व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा। तथापि, 5 मार्च, 2010 के पश्चात् सेवा में शामिल होने वालों को निम्नलिखित के अध्यधीन (अवस्था 4) में जाने के लिए ऊपर उल्लिखित अपेक्षाओं के अलावा पीएच.डी भी अर्जित करनी होगी : (क) एपीआई आधारित पीबीएएस अपेक्षाओं के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट अंक की पूर्ति, जैसाकि परिशिष्ट 1 की तालिका

	में दिया गया है, और (ख) सम्यक् रूप से गठित प्रवरण समिति द्वारा आकलन जैसाकि विभागाध्यक्ष की प्रत्यक्ष भर्ती के लिए सुझाया गया है।
3.9	रु. 9000 के एजीपी में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले तथा प्रासंगिक विषयक्षेत्र में पीएच.डी डिग्री धारण करने वाले विभागाध्यक्ष (एचओडी)/व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) को अभातशिप द्वारा यथा निर्धारित शैक्षणिक प्रदर्शन की अन्य शर्तों के अधीन, रु. 10000 (अवस्था 5) के एजीपी के साथ रु. 37400—67000 में रखा जाएगा।

तालिका-II (क)

तालिका-I में

महाविद्यालय में कैरियर उन्नति योजना (सी.ए.एस.) के अंतर्गत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए, परिशिष्ट-I तालिका-I में दिये गये अनुसार, लागू किए जाने वाले न्यूनतम अकादमिक निष्पादन सूचकांक, (ए.पी.आई) तथा विशेषज्ञ मूल्यांकन हेतु वेटेज अंक

क्रम सं.		व्याख्याता (वरिष्ठ मान) : (अवस्था 1 एजीपी 5400/6000 से अवस्था 2 एजीपी 7000)	व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) : (अवस्था 2 एजीपी 7000 से अवस्था 3 एजीपी 8000)	व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) : (अवस्था 3 एजीपी 8000 से अवस्था 4 एजीपी 9000)	व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड)/ विभागाध्यक्ष : (अवस्था 4 एजीपी 9000 से अवस्था 5, पीबी-4, एजीपी 10,000)
I	शिक्षण-अधिगम, मूल्यांकन संबंधी क्रियाकलाप (श्रेणी-I)	75/वर्ष	75/वर्ष	75/वर्ष	75/वर्ष
II	सह-पाठ्येत्तर विस्तार तथा व्यवसाय संबंधी कार्यकलाप (श्रेणी-II)	15/वर्ष	15/वर्ष	15/वर्ष	15/वर्ष
III	श्रेणी-I और श्रेणी-II के तहत न्यूनतम कुल औसत वार्षिक अंक	100/वर्ष	100/वर्ष	100/वर्ष	100/वर्ष
IV	अनुसंधान और अकादमिक योगदान (श्रेणी-III)	10/वर्ष (40/मूल्यांकन अवधि)	20/वर्ष (100/मूल्यांकन अवधि)	30/वर्ष (90/मूल्यांकन अवधि)	40/वर्ष (120/मूल्यांकन अवधि)
V	विशेषज्ञ मूल्यांकन प्रणाली	स्क्रीनिंग समिति	स्क्रीनिंग समिति	चयन समिति	चयन समिति
	विशेषज्ञ मूल्यांकन में वेटेज अंकों का प्रतिशत वितरण (कुल वेटेज अंक 100) पदोन्नति के लिए कम से कम 50 अंक अपेक्षित हैं।	अलग से कोई अंक नहीं। स्क्रीनिंग समिति को ए.पी.आई. अंकों (स्कोर) का सत्यापन करना है।	अलग से कोई अंक नहीं। स्क्रीनिंग समिति को ए.पी.आई. अंकों (स्कोर) का सत्यापन करना है।	अनुसंधान में योगदान - 30 प्रतिशत। कार्यक्षेत्र ज्ञान का मूल्यांकन तथा शिक्षण अभ्यास (प्रेक्टिस) - 50 प्रतिशत। साक्षात्कार निष्पादन - 20 प्रतिशत।	अनुसंधान में योगदान - 50 प्रतिशत। कार्यक्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण अभ्यास (प्रेक्टिस) - 30 प्रतिशत। साक्षात्कार निष्पादन - 20 प्रतिशत।

परिशिष्ट . III

संकाय मानक (गैर इंजीनियरी डिप्लोमा कार्यक्रम)

डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं (गैर इंजीनियरी ३ वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम) में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं एवं अनुभव

पदनाम एवं विधा	संस्तुत योग्यता
व्याख्याताओं (लेक्चरर)	
सिले-सिलाए वस्त्र (गारमेंट) प्रौद्योगिकी	वस्त्र प्रौद्योगिकी/वस्त्र रसायन/बी.डिजाईन की उपयुक्त विधा में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ स्नातक डिग्री। यदि अभ्यर्थी के पास निष्णात (मॉस्टर) डिग्री है तो प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष संगत विधा में स्नातक अथवा निष्णात (मॉस्टर) स्तर पर अपेक्षित है। अथवा फैशन प्रौद्योगिकी/वस्त्र/सिले सिलाए वस्त्र प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम श्रेणी एम.एससी।
❖ आभूषण डिजाईन एवं पोशाक निर्माण (कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग); ❖ पोशाक निर्माण एवं डिजाईनिंग (ड्रेस मेकिंग और डिजाईन); ❖ सिले सिलाए वस्त्र निर्माण प्रौद्योगिकी (गारमेंट फैब्रिक्रियेशंस प्रौद्योगिकी); ❖ पोशाक निर्माण एवं सिले सिलाए वस्त्र विनिर्माण (ड्रेस मेकिंग और गारमेंट मैनुफैक्चरिंग) ❖ कम्प्यूटर सहायता से आभूषण डिजाईन तथा सिले सिलाए वस्त्र विनिर्माण (कम्प्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिजाईनिंग एंड गारमेंट मैनुफैक्चरिंग) ❖ बुनाई प्रौद्योगिकी; ❖ फैशन प्रौद्योगिकी और वस्त्र डिजाईन;	
आधुनिक कार्यालय प्रबंधन और सचिवीय अभ्यास (सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस)	फील्ड/उद्योग/प्रशिक्षण में दो वर्ष के अनुभव के साथ प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ एम.काम/एम.ए (अर्थशास्त्र)/एमबीए/एमएमएस। अथवा बी.काम/बी.ए. (अर्थशास्त्र) तथा सीए/सीएस/आईसीडब्ल्यूए प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ।
❖ वाणिज्यिक अभ्यास ❖ वाणिज्यिक और कम्प्यूटर अभ्यास ❖ कार्यालय प्रबंधन अभ्यास ❖ सचिवीय (सेक्रेटेरियल) अभ्यास ❖ कार्यालय प्रबंधन स्वचालन (ऑटोमेशन) ❖ आशुलिपि एवं सचिवीय अभ्यास (सेक्रेटेरियल) ❖ लेखाशास्त्र (अकाउंटेंसी)	
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ निष्णात (मॉस्टर) डिग्री।
अनुप्रयुक्त (एप्लाइड) विडियोग्राफी	इलेक्ट्रानिक्स में बी.ई/बी.टैक. प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ। यदि अभ्यर्थी इलेक्ट्रानिक्स में एम.ई/एम.टैक. है तो प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष स्नातक अथवा निष्णात (मॉस्टर) स्तर पर अपेक्षित है। अथवा जनसंचार अथवा उपयुक्त विषय में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निष्णात (मॉस्टर) डिग्री।
❖ विडियो इंजीनियरिंग ❖ दूरदर्शन (टेलिविजन) इंजीनियरिंग ❖ दूरदर्शन (टेलिविजन) एवं विडियो इंजीनियरिंग ❖ चलचित्र (सिनेमेटोग्राफी) ❖ विडियो निर्माण (प्रोडक्शन) ❖ ध्वनि इंजीनियरिंग ❖ चलचित्र प्रौद्योगिकी ❖ जनसंचार प्रौद्योगिकी	
सौन्दर्य संवर्धन (ब्यूटी कल्चर)/सौंदर्य विज्ञान (कॉसमेटोलॉजी)	सौन्दर्य संवर्धन (ब्यूटी कल्चर)/सौंदर्य विज्ञान (कॉसमेटोलॉजी) में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ एम.एससी। अथवा 55 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष के साथ एमबीबीएस डिग्री तथा चर्म में डिप्लोमा/चर्म में एमडी/चर्म में डीएनबी/एमएस अथवा शल्य चिकित्सा में डीएनबी तथा जले हुए अथवा प्लास्टिक शल्य चिकित्सा में अनुभव के साथ/जले हुए संबंधी एवं प्लास्टिक शल्य चिकित्सा में एम.सीएच.।
चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ

	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निष्णात (मॉस्टर) डिग्री। अथवा 55 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष के साथ एमबीबीएस डिग्री। पैथोलॉजी/बॉयो रसायन/माइक्रोबॉयलोजी/प्रयोगशाला चिकित्सा में एम.डी. अर्हता अपेक्षित।
फैशन डिजाईनिंग	वस्त्र प्रौद्योगिकी/वस्त्र इंजीनियरी/वस्त्र रसायन में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ बी.ई./बी.टेक। यदि अभ्यर्थी प्रासंगिक विधा में एम.ई./एम.टेक. है तो प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष स्नातक अथवा निष्णात (मॉस्टर) स्तर पर अपेक्षित है। अथवा फैशन प्रौद्योगिकी/परिधान उत्पादन/फैशन डिजाईन/फैशन एवं परिधान इंजीनियरी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री अथवा फैशन डिजाईन/चमड़ा डिजाईन/वस्त्र बुनाई डिजाईन में बी.डेस। यदि अभ्यर्थी के पास प्रासंगिक विधा में निष्णात (मॉस्टर) डिग्री है तो प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर अपेक्षित है।
आंतरिक डिजाईन/सजावट	प्रासंगिक विधा में आंतरिक डिजाईन बी.आर्क/बी.देस. में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष स्नातक डिग्री। यदि अभ्यर्थी के पास प्रासंगिक विधा में निष्णात (मॉस्टर) डिग्री है तो प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष स्नातक अथवा निष्णात (मॉस्टर) स्तर पर अपेक्षित है।
वाणिज्यिक कला	ललित कला (अनुप्रयुक्त कला/डिजाईन कला) में प्रथम श्रेणी निष्णात (मॉस्टर) डिग्री।
विभागाध्यक्ष	
सिले-सिलाए वस्त्र (गारमेंट) प्रौद्योगिकी	(i) उपयुक्ततः विधा/विषय में पीएच.डी अथवा समकक्ष सहित व्याख्याता के पद के लिए अर्हता के समान है। (ii) व्याख्याता अथवा समकक्ष के स्तर पर शिक्षण/शोध/उद्योग में 8 वर्षों का अनुभव।
आधुनिक कार्यालय प्रबंधन और सचिवालय अभ्यास (सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस)	(i) उपयुक्ततः विधा में पीएच.डी अथवा समकक्ष सहित व्याख्याता के पद के लिए अर्हता के समान है। (ii) व्याख्याता अथवा समकक्ष के स्तर पर शिक्षण/शोध/उद्योग/प्रशिक्षण में 8 वर्षों का अनुभव।
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान	(i) पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विधा/विषय में पीएच.डी अथवा समकक्ष सहित व्याख्याता के पद के लिए अर्हता के समान है। (ii) व्याख्याता अथवा समकक्ष के स्तर पर शिक्षण/शोध/उद्योग/प्रशिक्षण में 8 वर्षों का अनुभव।
अनुप्रयुक्त (एप्लाइड) विडियोग्राफी	(i) उपयुक्ततः विधा में पीएच.डी अथवा समकक्ष सहित व्याख्याता के पद के लिए अर्हता के समान है। (ii) व्याख्याता अथवा समकक्ष के स्तर पर शिक्षण/शोध/उद्योग/प्रशिक्षण में 8 वर्षों का अनुभव।
सौन्दर्य संवर्धन (ब्यूटी कल्चर) और सौंदर्य विज्ञान (कॉस्मेटोलॉजी)	(i) उपयुक्ततः विषय में पीएच.डी अथवा समकक्ष सहित व्याख्याता के पद के लिए अर्हता के समान है। अथवा 55 प्रतिशत अंकों के साथ एमबीबीएस अर्हता तथा उपयुक्त विषय में एमडी/एमएस/डीएनबी धारण की हो। पीएच.डी अर्हता अपेक्षित है। (ii) व्याख्याता अथवा समकक्ष के स्तर पर

	शिक्षण/शोध/उद्योग/प्रशिक्षण में 8 वर्षों का अनुभव।
चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	(i) उपयुक्ततः विषय में पीएच.डी अथवा समकक्ष सहित व्याख्याता के पद के लिए अर्हता के समान है। अथवा 55 प्रतिशत अंकों के साथ एमबीबीएस अर्हता तथा उपयुक्त विषय में एमडी/एमएस/डीएनबी धारण की हो। पीएच.डी अर्हता वांछनीय है। (ii) व्याख्याता अथवा समकक्ष के स्तर पर शिक्षण/शोध/उद्योग/प्रशिक्षण में 8 वर्षों का अनुभव।
फैशन डिजाईनिंग	(i) उपयुक्ततः विधा/विषय में पीएच.डी अथवा समकक्ष सहित व्याख्याता के पद के लिए अर्हता के समान है। (ii) व्याख्याता अथवा समकक्ष के स्तर पर शिक्षण/शोध/उद्योग/प्रशिक्षण में 8 वर्षों का अनुभव।
आंतरिक डिजाईन/सजावट	(i) उपयुक्ततः विधा में पीएच.डी अथवा समकक्ष सहित व्याख्याता के पद के लिए अर्हता के समान है। (ii) व्याख्याता अथवा समकक्ष के स्तर पर शिक्षण/शोध/उद्योग/प्रशिक्षण में 8 वर्षों का अनुभव।
वाणिज्यिक कला	(i) उपयुक्ततः विषय में पीएच.डी अथवा समकक्ष सहित व्याख्याता के पद के लिए अर्हता के समान है। (ii) व्याख्याता अथवा समकक्ष के स्तर पर शिक्षण/शोध/उद्योग/प्रशिक्षण में 8 वर्षों का अनुभव।

डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में शिक्षकों की अर्हताएं नियत करने हेतु सामान्य दिशा-निर्देश:

1. उपरोक्त निर्धारित की गई अर्हकता कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) पदोन्नति तथा सीधे भर्ती के लिए लागू होंगी। ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. संशोधित वेतनमान, सेवा शर्तें, कैरियर उन्नति योजना तथा अन्य दिशा-निर्देश अभातशिप विनियम, 2010 दिनांक 5 मार्च, 2010 (डिप्लोमा) तथा अभातशिप विनियम, 2012 दिनांक 08 नवम्बर, 2012 (डिप्लोमा) अथवा उसके बाद जारी पश्चात्पूर्ती संशोधन/स्पष्टीकरण के अनुसार लागू होंगे।
3. गैर-चक्रवृत्ति अग्रिम वेतन वृद्धि उपयुक्त विधा में एम.ई/एम.टैक/एम.डेस/एमएस/पीएच.डी अथवा अन्य समकक्ष उच्च अर्हकता धारकों के लिए, अभातशिप विनियम, 2010 दिनांक 05 मार्च, 2010 (डिप्लोमा) तथा उसके बाद जारी पश्चात्पूर्ती स्पष्टीकरण में विनिर्धारित किए गए अनुसार स्वीकार्य होंगी।
4. संशोधित अर्हता एवं अनुभव पदनामित पदों पर नए भर्ती होने वालों के लिए अपेक्षित हैं तथा उन पदों पर कार्य कर रहे विद्यमान पदधारकों के लिए लागू नहीं होंगे। तथापि आगे कैरियर उन्नति योजना सीएएस/पदोन्नति/नियुक्ति के अंतर्गत उर्ध्ववृत्ति संचलन के लिए उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होगी, यदि उस पद के लिए कोई उच्च अर्हता विनिर्धारित की गई हो।
5. कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के अंतर्गत व्याख्याता (लेक्चरर) से व्याख्याता (लेक्चरर) (वरिष्ठ मान) अथवा समरूप अवस्था में उर्ध्ववृत्ति संचलन हेतु अभातशिप विनियम, 2012 दिनांक 8 नवम्बर, 2012 में प्रासंगिक विधा में व्याख्याता के पद के लिए विनिर्धारित की गई अर्हता के समान होगी।

- | |
|---|
| 6. व्याख्याता (वरिष्ठ मान) से व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) अथवा 4 एवं 5 समरूप अवस्था में उर्ध्ववर्ती संचलन के लिए न्यूनतम अर्हता प्रासंगिक विधा में विभागाध्यक्ष के लिए विनिर्धारित की गई अर्हकता के समान होंगी। अन्य दिशा-निर्देश अभातशिप विनियम 2012 दिनांक 8 नवम्बर, 2012 अथवा उसके बाद जारी पश्चात्तर्ती किसी भी स्पष्टीकरण में दिए गए अनुसार लागू होंगे। |
| 7. अभातशिप अनुमोदित गैर इंजीनियरी डिप्लोमा कार्यक्रम जो इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, उनके लिए यह ध्यान रखते हुए की पद के किसी भी स्तर पर अर्हता में बदलाव नहीं किया जा सकता है, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र उक्त विनिर्धारित अर्हकता के समान, अपेक्षित न्यूनतम पात्रता अर्हता के लिए दिशा-निर्देश विनिर्धारित करके अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। |

अनुबंध- IV

अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में संकाय के लिए अध्ययन अवकाश के लिए दिशा-निर्देश

डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में एम.टैक/पीएच.डी अथवा अन्य उच्च योग्यताओं के बिना सेवा में प्रवेश करने वाले शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक स्टाफ को अध्ययन अवकाश प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश नीचे दिए गए हैं—

- (i) नियुक्त किए गए व्यक्तियों जैसे सहायक प्रोफेसर/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा (डिग्री) स्तरीय अथवा समकक्ष संवर्ग (डिप्लोमा स्तर) में पदधारियों को (एम.ई/एम.टैक/पीएच.डी) अथवा उनके कार्य से प्रत्यक्षतः संबंधित विषयक्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए वेतन के साथ अध्ययन अवकाश दिया जाएगा।
- (ii) प्रविष्टि के उपरांत सेवा के वर्षों की संख्या नियमित सेवा में न्यूनतम तीन वर्ष होनी चाहिए जिसमें परिवीक्षा की अवधि भी शामिल होगी, तथा विषयक्षेत्र में शिक्षकों की उपलब्धता और रिक्त पदों को ध्यान में रखा जाएगा।
- (iii) अध्ययन अवकाश की सवेतन अवधि निष्णात/डॉक्टोरल स्तर के लिए क्रमशः दो/तीन वर्ष होनी चाहिए। प्रथमतः दो वर्ष प्रदान किए जाएं, जो पीएच.डी कार्यक्रम के लिए एक वर्ष और विस्तारित की जा सकेगी, यदि शोध-मार्गदर्शन द्वारा संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट दी गई है। यह देखने के लिए पूर्ण ध्यान रखा जाए कि अध्ययन अवकाश प्रदान करते समय नियमित शैक्षणिक कार्य प्रभावित न होने पाए।

स्पष्टीकरण : सेवा की अवधि की गणना करने के लिए उस अवधि को भी गिना जाए जिसके दौरान व्यक्ति परिवीक्षाधीन था अथवा शोध सहायक के रूप में तैनात किया गया था, बशर्ते कि :

- (क) व्यक्ति आवेदन की तारीख को शिक्षक है ;
- (ख) उसने अपनी परिवीक्षा की अवधि पूर्ण कर ली है, जैसाकि संबंधित संस्थान की संविधि (स्टेअयुटस) में निर्दिष्ट किया गया है ;
- (ग) उसकी सेवा में व्यवधान नहीं है, और
- (घ) अवकाश का एम.टैक/पीएच.डी अनुसंधान कार्य करने के लिए अनुरोध किया गया है।
- (iv) संस्था द्वारा अध्ययन अवकाश संबंधित विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर प्रदान किया जाएगा।
- (v) अध्ययन अवकाश उस शिक्षक को प्रदान नहीं किया जाएगा जो उस तारीख से पाँच वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला है, जिसको उसके द्वारा ड्यूटी पर वापस आने की आशा है।
- (vi) अध्ययन अवकाश एक व्यक्ति के कैरियर के दौरान दो से अधिक बार नहीं दिया जाएगा। संपूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम अनुमेय अध्ययन अवकाश पाँच वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (vii) किसी भी ऐसे शिक्षक को, जिसे अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया है, कार्यकारी परिषद्/सिंडिकेट/राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् की पूर्व अनुमति के बिना अध्ययन के पाठ्यक्रम अथवा शोध के कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। निर्धारित अवधि के उपरांत कोई भी विस्तार गैर वेतन अवकाश माना जाएगा।
- (viii) किसी शिक्षक द्वारा अपने अध्ययन अवकाश के दौरान किसी अन्य एजेंसी से प्राप्त छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) अथवा अन्य वित्तीय सहायता की राशि वेतन और भत्तों के साथ प्रदान किए जा रहे अध्ययन अवकाश के अतिरिक्त नहीं होती बल्कि इस प्रकार प्राप्त हुई छात्रवृत्ति को उन वेतन और भत्तों का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा जिसपर अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया है। विदेशी छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) को वेतन के विरुद्ध तथा समायोजित किया जाएगा यदि अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) एक निर्दिष्ट राशि की है, जिसका अवधारण भारत सरकार के समय-समय पर लागू भारत सरकार के नियमों के अनुरूप तथा उस देश में परिवार के लिए रहन-सहन की लागत के आधार पर किया जाएगा जिसमें अध्ययन किया जा रहा है। भारतीय अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) के मामले में, जो शिक्षक के वेतन से अधिक है, वेतन जब्त कर लिया जाएगा।
- (ix) ड्यूटी से अवकाश पर अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि जो तीन वर्ष से अधिक नहीं है, के अध्यधीन अध्ययन अवकाश को अर्जित अवकाश अर्ध-वेतन अवकाश, असाधारण अवकाश अथवा छुट्टी के साथ संयोजित किया जाएगा, बशर्ते कि शिक्षक के क्रेडिट में अर्जित अवकाश शिक्षक द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार लिया जाएगा। अध्ययन अवकाश के दौरान उच्च पद

पर चयन के लिए चुने गए शिक्षक को उस पद पर रखा जाएगा और वह उच्च मान केवल पद को ग्रहण करने पर ही प्राप्त करेगा।

- (x) अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया शिक्षक अपनी वापसी पर तथा संस्थान में सेवा पर पुनः कार्य ग्रहण करने पर उन वार्षिक वेतन-वृद्धियों के लाभों के लिए पात्र होगा, जो उसने उस अवधि में अर्जित की हैं, यदि वह अध्ययन अवकाश पर नहीं गया होता। तथापि कोई भी शिक्षक वेतन-वृद्धि के बकाया को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- (xi) अध्ययन अवकाश को पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि प्रयोजनों के लिए सेवा के रूप में गिना जाएगा, बशर्ते कि शिक्षक अपने अध्ययन अवकाश की समाप्ति पर संस्थान में वापस कार्यभार ग्रहण करे।
- (xii) किसी शिक्षक को प्रदान किया गया अध्ययन अवकाश उस समय रद्द माना जाएगा यदि इसे इसकी संस्वीकृति के 12 माह के भीतर नहीं लिया गया हो।
परंतु यह कि जहाँ इस प्रकार प्रदान किया गया अध्ययन अवकाश रद्द कर दिया जाता है, तो शिक्षक ऐसे अवकाश के लिए पुनः आवेदन करेगा।
- (xiii) अध्ययन अवकाश लेने वाला शिक्षक यह वचन देगा कि वह कम-से-कम तीन वर्ष की निरंतर सेवा तक संस्थान की सेवा करेगा, जिसकी गणना उसके अध्ययन अवकाश की समाप्ति पर उसके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से की जाएगी।
- (xiv) छुट्टी की संस्वीकृति होने के पश्चात् शिक्षक संस्थान के पक्ष में एक बंधपत्र निष्पादित करेगा, जिसमें वह स्वयं को ऊपर उल्लिखित उप-खंडों में विनिर्धारित शर्तों की सम्यक पूर्ति करने के लिए आबध रहेगा तथा वित्त अधिकारी/कोषपाल की संतुष्टि के अनुसार अचल संपत्ति की प्रतिभूति देगा अथवा किसी बीमा कंपनी का फीडेलिटी बंधपत्र देगा अथवा किसी अनुसूचित बैंक द्वारा गारंटी देगा अथवा दो स्थायी शिक्षकों की ऐसी राशि की प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा, जो ऊपर उपखंड (xiii) के अनुसार संस्थान को प्रतिदेय बन जाएगी।
- (xv) शिक्षक संस्थान के प्रमुख को अपने वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से अपने अध्ययन के लिए 6 माह के नियमित अंतराल के लिए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अध्ययन अवकाश की अवधि में यह रिपोर्ट प्रत्येक छः माह का कार्यकाल पूरे होने के भीतर, एक माह में संस्थान अध्यक्ष को पहुंच जानी चाहिए। यदि यह रिपोर्ट निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं पहुंचती है तो रिपोर्ट पहुंचने तक अवकाश वेतन का भुगतान विलम्बित किया जा सकता है।

अनुबंध- V

प्रशिक्षण और नियोजन अधिकारियों (डिग्री) की योग्यताएं, वेतनमान और सेवा-शर्तें

वर्ष 1990 के अभातशिप सन्निधियों और मानकों में डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थानों में नियोजन और प्रशिक्षण की आवश्यकता पहचानी गई थी जिसे राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा अपनाया गया था। दिनांक 03.01.2003 के पत्र सं० एफडी/पीएसएससी/क्लरिफ/2002/1 के पैरा (10) ख में उनके वेतन-मानों आदि पर संबंधित सरकारों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों पर विचार करते हुए निर्णय किया जाना था। विभिन्न पणधारकों (स्टेट होल्डर) से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों तथा देश की अर्थव्यवस्था में विकास के परिवर्तित परिदृश्य में प्रशिक्षण और नियोजन अधिकारियों (टीपीओ) के महत्व पर विचार करते हुए, यह अनिवार्य हो गया है कि उनकी सेवा-शर्तों का अवधारण करते हुए उन्हें अभातशिप के क्षेत्राधिकार में लाया जाए। तदनुसार, निम्नलिखित प्रस्तावित किया गया है :-

(i) प्रशिक्षण और नियोजन अधिकारियों के रूप में प्रवेश करने वाले व्यक्ति प्रौफेसर के संवर्ग में होंगे तथा उन्हें प्रौफेसर (टीपीओ) के पदनाम में भर्ती किया जाएगा। पद के लिए अनिवार्य योग्यताएं तथा अनुभव अभातशिप विनियम 2010 (डिग्री) में विनिर्धारित प्रौफेसर (इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी) के अनुरूप होगा। श्रेष्ठ प्रबंधकीय संप्रेषण कौशल रखने वाले तथा प्रतिष्ठित औद्योगिकी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को सम्यक अधिमान दिया जाएगा। प्रबंधन में डिग्री वांछनीय योग्यता होगी।

(ii) विद्यमान प्रशिक्षण और नियोजन अधिकारियों को यथास्थिति, प्रौफेसर (टीपीओ)/सह (एसोसिएट) प्रौफेसर (टीपीओ)/सहायक प्रौफेसर (टीपीओ) के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा, बशर्ते कि अभातशिप विनियम 2010 (डिग्री) तथा उसके बाद जारी समस्त पश्चात्तवर्ती स्पष्टीकरणों/अधिसूचनाओं में विनिर्धारित संकाय सन्निधियों के अनुरूप समस्त अपेक्षित योग्यताओं और प्रासंगिक अनुभव की पूर्ति होती हो।

(iii) विद्यमान टीपीओ के वेतनमान छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की नियतन तालिका (फिटमेंट टेबल) के अनुरूप नियत किए जाएंगे। जिन्हें यथालागू पुनः पदनामित किया जाएगा।

(iv) कैरियर संवर्धन स्कीम उनके लिए समान रूप से लागू होगी, जो अभातशिप विनियम 2010 और 2012 तथा उसके सभी पश्चात्तवर्ती स्पष्टीकरणों/अधिसूचनाओं में यथानिर्धारित अनिवार्य पात्रता शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगा।

प्रशिक्षण और नियोजन अधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व : .

(i) यह पद गैर-अवकाशीय पद माना जाएगा। अधिकारी का 4 घंटे/सप्ताह का शिक्षण कार्यभार होगा।

(ii) टीपीओ परिसर में तथा उसके आस-पास उद्योग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करेगा।

(iii) वह उद्योगों, शोध और सेवा संगठनों में कार्य (जॉब) अपेक्षाओं का वार्षिक सर्वेक्षण संचालित करेगा।

(iv) उसे संयंत्र प्रशिक्षण में परिसर साक्षात्कार/कार्य मेलों आदि की व्यवस्था करनी होती तथा वह कार्मिकों और अंतिम वर्ष के छात्रों, दोनों के लिए औद्योगिक प्रायोजित परियोजनाओं की व्यवस्था भी करेगा।

(v) उसे उद्योग/शोध/सेवा क्षेत्रों के संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञों का डाटा बैंक सृजित करना होगा तथा छात्रों तथा स्टॉफ सदस्यों के लाभ के लिए, व्याख्यान देने के लिए उन्हें संस्थान में आमंत्रित करना होगा।

(vi) उसे उद्योगों/शोध/सेवा क्षेत्रों में छात्रों और स्टॉफ सदस्यों के लिए प्रशिक्षण/क्षेत्रीय दौरों की भी व्यवस्था करनी होगी।

(vii) उसे उद्योगों/शोध/सेवा संगठनों में प्रशिक्षु प्रशिक्षण तथा उपयुक्त नियोजन प्राप्त करने में छात्रों को भी सहायता करनी होगी। वह समूह चर्चा, वैयक्तिक साक्षात्कार और व्यक्तित्व विकास आदि के लिए तैयारी करने वाले छात्रों को अभ्यास कराने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(viii) प्रशिक्षण और नियोजन अधिकारी को समस्त पूर्व छात्रों का डाटा बैंक भी सृजित करना होगा जिन्हें प्रतिष्ठित उद्योगों/शोध/सेवा संगठनों में रोजगार प्राप्त हुआ है।

(ix) संस्थान के प्रमुख द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कोई अन्य संबंधित कार्य।

डिप्लोमा श्रेणी के संस्थान में प्रशिक्षण तथा नियोजन अधिकारियों (टीपीओ) की योग्यता, वेतनमानों तथा सेवा शर्तों पर संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार उल्लिखित के अनुसार तथा जहाँ भी बदलाव अपेक्षित हों, निर्णय ले सकते हैं।

ये नियम राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे।

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January 2016

[CLARIFICATIONS ON CERTAIN ISSUES/ ANOMALIES PERTAINING TO QUALIFICATIONS, PAY SCALES, SERVICE CONDITIONS, CAREER ADVANCEMENT SCHEMES (CAS) etc. FOR TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF OF TECHNICAL INSTITUTIONS (DEGREE/DIPLOMA)]

F. No. 27/RIFD/Pay Scale/01/2013-14.—In exercise of the powers conferred under sub-Section (i) of Section 23 read with Section 10 (i) and (v) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education makes the following Regulations:-

I. Short title, Applications and Commencement:

(a) These Regulations may be called All India Council for Technical Education (clarifications on certain issues/ anomalies pertaining to Qualifications, Pay Scales, Service Conditions, Career Advancement Schemes (CAS) etc. for Teachers and other Academic Staff of Technical Institutions (Degree/Diploma)), 2016.

(b) These shall apply to technical institutions conducting technical educations and such other courses/ programs and area notified by the Council from time to time.

II. General

AICTE has received several representations seeking clarifications on certain issues arising out of implementation of AICTE Regulations No. 37-3/ Legal/AICTE/2010 dated 05th March 2010 on revised Pay Scales, Service Conditions and Qualifications for the Teachers and other Academic Staff in Technical Institutions (Degree & Diploma) Regulations, 2010 (here in after referred as AICTE Regulations, 2010) and No. 37-3/ Legal/AICTE/2012 dated 8th Nov. 2012 on Career Advancement Scheme for the Teachers and other Academic Staff in Technical Institutions (Degree & Diploma) Regulations, 2012 (here in after referred to as AICTE Regulations, 2012). Some of the issues raised from the AICTE previous Notifications have also been included.

Clarifications on certain issues/ anomalies pertaining to Qualifications, Pay Scales, Service conditions, Career Advancement Schemes (CAS) etc. for Teachers and Other Academic Staff of Technical Institutions (Degree/Diploma)

The clarifications on certain issues of teachers and equivalent positions are given below:

A. ISSUES RELATED TO QUALIFICATION

Sl. No.	Issue	Clarification
1	Whether a person with under mentioned qualifications is eligible for CAS and/or for Appointment as a faculty in Degree and Diploma level Technical Institutions. (a) MCA/M.Sc in Mathematics/ Physics/ Electronics/ Computer Science and allied subjects with ME/M. Tech/Ph. D in Computer Science/ Information Technology to teach in Computer Science, IT & Engg. Courses. (b) M. Sc. (Electronic Science) and M. E. (ET&T) qualification. (c) Master of Science in Information Technology (M.Sc. IT) to teach in CSE program.	The Institutions should not consider these qualifications for direct recruitment for faculty position, at any level of post from the date of publication in Official Gazette (i.e. AICTE Regulations, 2010). However, existing incumbents recruited as a faculty with these basic minimum qualifications prior to the issue of AICTE Regulations, 2010 are to be considered for Career Advancement Scheme (CAS), subject to fulfilment of other eligibility criteria and higher qualification prescribed, if any, for various levels of posts.
2	Applicability of qualifications in the program of CSE and Technology for appointment to the post of Asst. Professor.	AICTE Regulations, 2010 have prescribed the minimum qualifications and eligibility conditions for the appointment of faculty in the program of Engineering and Technology including the program of CSE and Technology.
3	(a) Consideration of qualification of M. Pharm (Quality Assurance) for the candidate for eligibility to the post of Lecturer/Asst. Professor in Pharmacology. (b) Consideration of Inter – Disciplinary courses and teaching in Medicine and Technology for the eligibility.	The BoG of the concerned Institution on the recommendation of duly constituted Selection Committee and with the approval of their respective State/UT/ Central Government /University may take appropriate decision in accordance with AICTE Regulations, 2010. The same should be notified at the time of advertisement for the Posts.
4	Consideration on the under mentioned issues for the purpose of appointment on various teaching posts in Degree and Diploma Technical Institutions. (a) Relaxation on minimum passing qualification criteria for Differently Abled (Physical and visually) against backlog and regular vacancies. (b) Relaxation in minimum qualifying marks by 5% for SC/ST persons. (c) Applicability of reservation policy in self-financing Technical Institutions for SC/ST persons.	Rules relating to reservation for the respective category including relaxation in minimum qualification criteria of the concerned State/UT/Central Government as applicable from time to time would be applied.
5	Clarification in respect of Ph.D acquired from inter-disciplinary Centres/ Departments in relevant area for the appropriateness in relevant discipline in which faculty has acquired BE/ B. Tech. and ME/ M. Tech. Degree.	The BoG of the concerned Institute on the basis of the recommendations of properly constituted Selection Committee and with the approval of their State Technical Education Department/State/ UT/ Central Government/University may take appropriate decision.
6	Consideration to relax Ph.D qualification in HMCT Programme due to scarcity of Masters/ Ph.D degree personnel in HMCT.	It was decided that the same will be placed before the Board of Studies in HMCT for further decision in the matter.
7	Clarification regarding appropriateness and equivalency of higher qualifications (M. Tech / Ph. D)	To be dealt as per issue No. 5.

	obtained in branches other than core branches of BE/B. Tech, for the purpose of CAS/Promotion and direct recruitment.	
8	Consideration of qualification B. Tech with Ph.D in appropriate technical discipline without completing M. Tech degree as an eligibility criterion for the appointment of faculty/Principal/ Director in Technical Institutions.	The qualification of Ph.D acquired for the various level of posts directly after B.E/B.Tech. is applicable in Technical Institutions, provided degree of Ph. D awarded is in relevant discipline by a University following the process of registration, course work and evaluation etc. as prescribed by UGC or has been awarded by the Institutes of national importance (i.e. IITs/IISc/ NITs etc.), duly recognized by the MHRD. Further, candidate should have obtained at least first class at Bachelor's level in Engineering /Technology.
9	Appropriateness of MS degree acquired from NIT, IIT and IISC Bangalore etc., for appointment as Asst. Professor in Engineering disciplines.	The MS degree shall be considered equivalent to ME/ M. Tech. for all purposes, provided MS degree has been acquired from the Institutes of national importance as recognised by MHRD and the basic degree should be BE/B. Tech. in relevant branch. MS degree awarded by an accredited foreign Universities/ Institutions shall be considered provided that the equivalency of MS degree has been approved by AIU.
10	Clarity required in faculty norms notified vide AICTE Regulations, 2010 (Diploma) for Humanities & Sciences program.	The qualifications laid down under faculty norms in AICTE Regulations, 2010 for the post of Lecturer be read as under: "Master's degree in appropriate subject of Humanities & Sciences with first class or equivalent at Bachelor's or Master's Level". Further, for their upward movement as a Lecturer (Selection Grade) under Career Advancement Scheme (CAS), Ph.D in relevant subject is an essential qualification.
11	Clarity required in faculty norms notified vide AICTE Regulations, 2010 (Degree) for HMCT discipline for the post of Assistant Professor.	The qualifications (laid down under faculty norms in AICTE Regulations, 2010) for the post of Assistant Professor in HMCT be read as under: Bachelor's or equivalent and Master's degree in HMCT with first class or equivalent grade, either at Bachelor's or Master's level.
12	Defining the qualification/ eligibility conditions for the post of Assistant Professor/ Associate Professor/ Professor in Humanities & Sciences (Degree).	The qualification/eligibility conditions for the post of Assistant Professor/ Associate Professor/ Professor in Humanities & Sciences are as in Annexure -I .
13	Defining the qualification/ eligibility condition for the post of HOD in Humanities & Sciences (Diploma).	The essential qualifications shall be same as for the post of Lecturer (Humanities & Sciences) along with Ph.D Degree in relevant subject and 10 years experience in Teaching/Research/Industry at the level of Lecturer or equivalent.
14	Framing Guidelines for Industrial experience (other than academic) at Degree & Diploma level Technical Education for appointment of faculty.	(i) Working experience in public sector undertaking is preferred. However private sector can also be considered provided the Industry has a successful continuous standing of at least 10 years. (ii) The experience can be considered only after production of certificate (experience) issued by competent authority. (iii) The area of operation of Industry shall be related to the relevant field of discipline.

		(iv) The experience certificate shall include work profile, designation and duration of service. (v) 50% of the total service rendered in industries shall be considered as an equivalent to teaching experience provided total experience is at least 10 years and above. (vi) Qualifications shall be as prescribed in AICTE Regulations 2010.
15	Framing guidelines for the faculty in Biotechnology and Bio - informatics courses.	The Pay Scale, Qualification and Service Conditions for the faculty of these courses shall be same as notified in AICTE Regulations, 2010 for various levels of posts in Engineering and Technology Programs.
16	Recognition of Integrated/Dual Degrees programs for recruitment as faculty in Degree and Diploma level Technical Institutions. i.e. (a) B.E/B. Tech. – MBA Integrated program of five years duration. (b) B.E/B.Tech – M.E/M.Tech Dual Degree Program of five years duration. (c) Diploma - B.E/B. Tech Integrated Degree in Engg. and Technology of 6 years duration.	Recognised integrated B.E/B.Tech. Degree, Integrated B.E./B.Tech.-MBA and Integrated B.E./B.Tech.-M.Tech., and Dual Degrees awarded shall be recognised for direct recruitment & promotion of faculty under CAS.
17	Clarification in respect of Ph.D qualification for the post of Asst. Professor/Professor, as laid down in AICTE notification 2000. Whether Ph.D shall be in appropriate branch of Engineering/ Technology.	The notification is self explanatory, on the recommendation of the duly constituted Institute Selection Committee in relevant subject, the BoG/ Department of Technical Education/ State/UT Government may decide keeping in view that Ph. D degree shall be in appropriate branch of Engineering/ Technology.

(B). ISSUES RELATED TO PAY REGULATIONS

Sl. No	Issue	Clarification
18	Removal of anomaly of basic pay of Professors recruited directly prior to 01-01-2006 in comparison to those who have recruited after 01-01-2006.	To remove the anomaly where senior Professor recruited directly prior to 01-01-2006, who are drawing less Pay in the revised Pay scale than his Junior who is recruited after 01-01-2006, the basic Pay of the senior Professor should be stepped up in accordance with CCS (RP) Rules 2008 to an amount equal to the Pay in the Pay Band as fixed for his Junior in that post. The stepping up should be done with effect from the date of joining of the Junior, taking overall seniority of the person in the Institute across all disciplines.
19	Disparity in Pay between the Senior and Junior faculty with similar qualification upgraded through CAS promotion in the year 2005 and 2006 respectively in Technical Institutions (Degree/ Diploma), due to one additional increment at the time of financial upgrading as per AICTE Regulations, 2010.	Stepping up of Pay shall be carried out in a manner similar to recommendations made in issue No. 18.
20	Anomaly between UGC and AICTE Regulations,	In order to have uniformity of Pay Scale, the

	2010 for the minimum Pay for the directly recruited Principals in Degree Colleges /Polytechnic.	Committee recommends the following. Principal (Degree): Posts of Principal in Degree level Technical Institutions shall be in the PB-4 (i.e. Rs. 37400-67000) with an AGP of Rs. 10000 plus a special allowance of Rs. 5000 per month and shall be fixed at a stage not below Rs. 43000. All in service Principals shall be appropriately fixed in the PB-4 with AGP of Rs. 10000. Principal (Diploma): Posts of Principal in Diploma level Technical Institutions shall be in the PB-4 (i.e. Rs. 37400-67000) with an AGP of Rs. 10000 plus a special allowance of Rs. 2000 per month and shall be fixed at a stage not below Rs. 43000. All in service Principals shall be appropriately fixed in the PB-4 with AGP of Rs. 10000.
21	(a) Placement of directly recruited Assistant Professor in PB-4 appointed according to Vth CPC recommendations, in pre-revised Pay Scale of Rs. 12000 -18300 between 01-01-2006 and the date of issue of AICTE Regulations, 2010. (b) Fixation of Pay Scale of Assistant Professor, who rendered their services in pre-revised Pay Scale of Rs. 12000-18300 for the period more than 03 years prior to 01-01-2006 in some of the Institute and recruited as Assistant Professor in some other Institute in the pre-revised Pay Scale of Rs. 12000-18300 before 01-01-2006 with Pay protection.	The Pay of Assistant Professor recruited under the V th CPC recommendations is to be fixed as prescribed in Para a(ix)/(xii) page 21/22 of AICTE Regulations, 2010 (Degree).
22	Clarification is invited about the EDP Manager, being covered in Academic or Non academic staff.	EDP Manager is not an approved designation as per AICTE Regulations.
23	Whether a faculty of Humanities & Sciences with Master's Degree will be placed in AGP of Rs. 6000 (Diploma).	Lecturer in Humanities & Sciences with Master's Degree shall be placed in Pay Scale of Rs.15600-39100 with AGP of Rs. 5400 at entry level vide AICTE Regulations, 2010. However, those who have M. Phil/Ph. D degree in relevant discipline/subject shall be placed in PB-3 with Academic Grade Pay of Rs. 6000 at the time of joining as Lecturer.
24	Clarification invited to extend the clause 1a (xiv) of AICTE Regulations, 2010 (Diploma), for the Lecturer (Selection Grade), who have Ph. D qualification.	The Committee recommends that criteria of API for acquiring the Grade Pay of Rs. 10000 may be considered for all eligible candidates. Other conditions will be same as for the HOD and as defined in AICTE Regulations, 2012 (stage 5). However, AGP of Rs. 10000 of such eligible candidates shall be fixed from the date not before the publication of AICTE Regulations 2012 in Official Gazette.

(C). RELATED TO INCENTIVE/NON COMPOUNDED ADVANCE INCREMENTS

Sl. No	Issue	Clarification
25	Admissibility for Non-compounded advance increments/ Non -compounded increments for higher qualifications (Degree and Diploma Institutions) as a incentive for Ph. D /M. Tech and other higher qualifications.	(i) There shall be no increments on completion of PDF/D.Sc fellowship programs. (ii) There shall be no advance increments for acquiring M. Tech./ M. Phil or Ph. D degree to those who are already working as a regular faculty with lower qualification and where such higher basic qualifications are/were essential for the post. (iii) Non - compounded advance increments (Three/Two/One) on acquiring Ph.D/M.Phil/M. Tech. and other equivalent qualifications, while in service, wherever applicable in AICTE Regulations, 2010 shall be granted in PB-3 (Rs. 15600-39100) only. The advance increments for those who acquired Ph.D/M.Phil/ M. Tech. and other equivalent qualifications, while in service are not allowed in the PB-4 (Rs. 37400-67000). (iv) Associate Professor who has completed Ph.D and other higher qualifications while in service/ or directly recruited will not be given any advance increment and their basic Pay will be fixed as per rule. (v) No advance increments are admissible to those who acquired M. E/M. Tech qualification prior to 01-01-2006, while in service.
26	Whether, a faculty of Degree/ Diploma Technical Institutions is eligible for one additional increment at the time of up-gradation through CAS at each higher stage of AGP [Sub para (iii) under Para Increments] as per AICTE Regulations, 2010.	Yes, one additional increment to be given at the time of up-gradation through CAS in each higher stage of AGP in PB-3 & PB-4 irrespective of existing scheme of increment on promotion from lower Pay Scale to higher Pay Scale in V th CPC. However, there shall be no additional increment on movement from PB-3 to PB-4.
27	Effective date (i.e. retrospective/ prospective) of applicability of Ph. D in Relevant branch/ discipline for entitlement of three non-compounding increments. (Faculty who have enrolled/obtained Ph. D before the issue/ implementation of AICTE Regulations, 2010).	AICTE Regulations, 2010, sub Para (v) of Para under incentive for Ph. D /M. Tech and other higher qualification is applicable. These shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
28	Recognition of Ph.D degree for three non-compounding increments, if faculty has acquired Ph. D from IIT, IIM and IISC, NITs, BITS etc., which are recognized by the MHRD though neither approved nor recognized by the UGC/AICTE.	These Institutions are the Institutes of National importance. The Ph. D degree awarded by these Institutions are to be recognised for all purposes including grant non - compounding advance increments.

(D). ISSUES RELATED TO CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS)

Sl. No	Issue	Clarification
29	Fixing of Pay of the Professor upgraded prior to 01.01.2006 under Career Advancement Scheme (CAS) at the minimum of basic Pay of Rs. 43,000 with AGP Rs.10000 w.e.f. 01.01.2006.	The fixing of Pay should be in accordance with the Pay fitment Table of 6 th CPC as on 01-01-2006 approved by MHRD.
30	Whether experience of Professors upgraded through CAS and those directly recruited will be considered at par for the purpose of Recruitment of Principal in the Engineering Colleges.	Yes and shall be from the date of eligibility.
31	Clarity required in AICTE Regulations, 2012 (Diploma) in Para 3.	Corrigendum is annexed in Annexure II .
32	(a) Anomaly between UGC and AICTE Regulations, 2010 for the fixing of Pay Scale of higher Grade Professor in the HAG Scale. (b) What would be composition of Selection Committee for the grant of HAG scale to higher Grade Professor?	(a) In order to have uniformity of Pay Scales, the Committee recommends “to upgrade the 10% of posts of Higher Grade Professors to HAG scale. Para [a(xv)] of AICTE Regulations, 2010 (Degree) be substituted with following: Pay Band-4 (Rs. 37,400-67,000/-) with Academic Grade Pay of Rs. 12,000/- per month has been replaced by the new HAG scale of Rs. 67,000 (Annual Increment @3%)-79,000 with no Grade Pay. The AGP of Rs. 12,000/- per month does not exist anymore. Other conditions of eligibility to move in the above scale of Pay will remain unchanged. (b) Composition of Selection Committee should be same as laid down for the post of Professor in AICTE Regulations, 2012 with all experts from HAG or Higher Scale of Pay. API and other minimum conditions of eligibility to move to the above scale of Pay will remain the same as laid down in AICTE Regulations, 2012 for the Post of Professor (stage 6).
33	(a) Procedure to verify the past service record for counting the service under CAS. (b) Consideration for stepping up of Pay of Senior faculty at par with Junior [who has been given benefit of the service, rendered in the private/Govt. Institutions for the purpose of CAS] in Govt. Institutions governed by CCS/FR & SR Rules. (c) Total period of past service rendered may be counted for the purpose of CAS to the faculty.	(a) Past service to be counted for CAS, subject to the endorsement of complete service record by the appropriate approving authority (i.e. University/State Department of Technical Education) in accordance with GOI Rules. Stepping up shall be in accordance with FR & SR Rules of GOI, as admissible. (b) Based on the recommendation of Selection Committee, the Central/State/ UT Govt. May decide as per their norms/terms and conditions at the time of appointment.
34	Effective date of implementation of Pay scale through CAS: i.e. from the date of completion of Ph.D or else, where such qualification is essential.	The effective date of implementation of CAS is from the date of acquiring essential qualification for the post subject to fulfilment of other eligibility conditions as laid down in AICTE Regulations/ Notifications issued from time to time.
35	Whether CAS guidelines issued in 2012 (Degree/Diploma) are in continuation of AICTE Regulations, 2010 and its applicability to the existing	AICTE Regulations, 2012 have been issued in continuation of AICTE Regulations, 2010. All conditions laid down shall be applicable to existing

	incumbents.	incumbent as well as for newly recruited teachers (as defined in AICTE Regulations, 2012), unless otherwise specified separately. This Regulation is applicable as per the proviso of Rule 1.3 of AICTE Regulations, 2012.
36	Whether State/ Central Govt. can modify the CAS guideline proposed in AICTE Regulations, 2012 (Diploma), according to work allocation/curriculum etc. of the Institute/faculty as the Ph. D /M. Tech Projects are not guided/carried out in Diploma level Technical Institutions.	No
37	Applicability of CAS guidelines to the post of HOD/Principal promoted departmentally as laid down in AICTE, Regulations, 2012 (Diploma).	Yes, guidelines notified in AICTE Regulations, 2012 are also applicable for the departmental promotion to the post of HOD/Principal, considering the merit of all eligible faculty members.
38	Consideration to relax API score (Degree/ Diploma) between 05 th Mar. 2010 and issue of AICTE Regulations, 2012 on 8 th Nov. 2012.	Relaxation in API score is applicable for the period of 03 years only (till date 7-11-2015) from the issue of AICTE Regulations 2012 in Official Gazette. Thereafter, API score shall be implemented.
39	Clarity required in AICTE Regulations, 2012 (Degree) in Para 3.8 (page 44) in r/o eligible education qualification of Assistant Professor (AGP 8000) to move into Pay Band of Rs.37400-67000 (AGP 9000) as Associate Professor under CAS.	As per Para 3.8 of AICTE Regulations, 2012 (Degree).
40	Consideration to review and issue of faculty norms for direct recruitment and CAS guidelines for non-Engineering Diploma programs in the discipline of Cosmetology & Health, Fashion Design, Garment Fabrication Technology, Interior Design, Library and Information Sciences, Beauty Culture, Modern Office Practices, Commercial Art and MLT.	This shall be as per Annexure -III .
41	Consideration to relax the educational qualifications to Librarians and PTIs, recruited prior to issue of AICTE Notifications (from 01-01-1996 to 15 -3-2000) for the purpose of CAS (Degree/ Diploma).	(a) For Diploma level Institutions: Librarians and PTIs who have been recruited between 01-01-1996 and 15-3-2000 in the Diploma level Institutions, with the existing recruitment rules to be considered for up-gradation under CAS in the next higher grade of Senior Scale only. However, for further upward movement under CAS, they are required to acquire minimum educational qualification in a manner similar to that as laid down in AICTE notification 2000 (Degree) and in subsequent Clarifications/Notifications. (b) For Degree level Institutions: same as above.
42	Consideration to relax the educational qualifications of the Lecturers in Printing Technology recruited prior to issue of AICTE Regulations, 2010 for the purpose of CAS (Degree/ Diploma).	(a) For Diploma level Institutions: Lecturers in Printing Technology, who have been recruited between 01-01-1996 and 30-12-1999 in the Diploma institutions, with the existing recruitment rules to be considered for up-gradation under CAS in the next higher grade of Lecturer (Senior scale) only. However, for further

		upward movement under CAS, they are required to acquire minimum educational qualification as laid down in AICTE Diploma notification, 1999 and subsequent Clarifications/Notifications thereof. (b) For Degree level Institutions: Similar as above.
43	Applicability of Master's degree as laid down in AICTE notification 1999, Para 8.3 Lecturer (Selection Grade) to Humanities & Sciences for up - gradation to Lecturer (Selection Grade).	The qualification prescribed in Para 8.3 of AICTE notification 1999 (Diploma) does not apply to the Humanities & Sciences for upward movement of Lecturer (Senior Scale) to Lecturer (Selection Grade) under CAS. M. Phil/Ph. D is essential qualification for upward movement to Lecturer (Selection Grade) in Humanities & Sciences.
44	(a) Applicability of Item No. 10 of the AICTE clarification issued vide F. No. FD/PSSC/Clarif./2003/1 dated 10-9-2003 for the purpose of counting past service for CAS, with respect to Para 9.2 (b) of AICTE notification dated 30-12-1999. (b) Consideration to relax the qualifications prescribed in AICTE notification, 1989 (Diploma) for the purpose of counting past service under CAS.	(a) There is no relaxation provided in respect of Para 9.2(b) of AICTE notification dated 30-12-1999, for counting of past service under CAS. Para 9.2 (b) shall be read as it is. (b) No relaxation is admissible.
45	Clarification invited regarding counting of service period rendered in pre - revised Pay Scale (Rs. 10000-15200) as a Lecturer (Senior Scale) prior to 1-1-2006 for the upward movement of Lecturer from AGP of Rs. 7000 to AGP of Rs. 8000 in Para a (ix) of Lecturer in polytechnic in the of AICTE Regulations, 2010.	The period specified in the AICTE Regulations, 2010 for upward movement of Lecturer from AGP of Rs. 7000 to AGP of Rs. 8000 shall be counted from the date of placement of Lecturer in the corresponding pre - revised Pay Scale.

(E) MISCELLANEOUS ISSUES

Sl. No	Issue	Clarification
46	Framing of guidelines for study leave.	The guidelines for study leave are appended as Annexure -IV .
47	(a) Consideration of change of designation of the Polytechnic Faculty at par with University polytechnic. This does not involve any financial implication.	The State/UT Govt. may consider this issue for change of nomenclature of designation without any financial implication.
	(b) Consideration for eligibility of regular Principal of Govt. Polytechnic Institute for appointment to the post of Principal in degree level Technical Institutions.	Status quo to be maintained.
	(c) Consideration to give benefit of Pay at par with UGC norms to those faculty who have been appointed as Asst. Registrar/Deputy Registrar in the establishment from the cadre of approved teachers holding qualification as par with AICTE norms.	Status quo to be maintained.
48	Whether a faculty of Engineering & Technology with minimum 10 years relevant experience in teaching/research out of which 3 years is in the same grade Pay (i. e. Rs. 9000) at par with HOD is eligible for the post of Principal in Polytechnic.	Yes, provided the person also has an administrative experience of at least 3 years.

49	(a) Requirement of defining Pay Scales and service conditions and CAS for the posts of Foreman Instructor in Degree/Diploma level Technical Institutions. (b) Framing of Recruitment rules, for Non-Teaching and other posts in Degree/Diploma level Institutions not covered in AICTE Regulations.	The respective Central/ State/ UT Government may decide their Pay Scales, qualifications and service conditions as per respective Govt. rules.
50	Consideration to relax academic performance index (API) in ACR/ self appraisal performance report and counting of experience for promotion under CAS to those faculty deputed to AICTE, MHRD, UGC and for other organizations.	API requirement of teachers appointed in Regulatory/ Advisory bodies & Funding Agencies of State/ Central Govt. on deputation/ Lien/Foreign service shall be as follows: ACR/self appraisal performance report shall be taken as equivalent to API, provided the candidate has scored at least "Very Good" and above rating in the ACR.
51	Applicability of Reader's allowance to the Visually Differently Abled Category faculty at par with UGC in Degree/Diploma level Technical Institutions.	Reader's allowance to the faculty with Visually Differently Abled Category shall be as per the UGC guidelines.
52	Consideration to count EOL period granted to accept invitation of teaching post, research cum teaching post or for the academic work of importance to be for the purpose of increment at par with UGC in AICTE approved Institutions.	Extra ordinary leave period granted to accept invitation of teaching post, research cum teaching post, fellowship, academic administrative post or any other work of similar nature/importance is to be counted for the purpose of notional increment and CAS.
53	Whether, Asst. Professor (Re-designated as Associate Professor w.e.f 1-1-2006), who are not able to complete the Ph. D in seven years from the date of Joining (Direct/ CAS) will be reverted back.	Such candidates will be required to complete Ph. D within 7 years from the date of Joining, failing which increments shall be stopped until Ph. D is earned.
54	Clarification cited on Inter se Seniority of the CAS promoted (Financial up gradation) faculty and directly recruited faculty.	As per the respective State/UT Govt. rules.
55	Consideration is invited to fix the pension of Principals of Engineering colleges in pre-revised (V th CPC) scales may be deemed to be Rs. 19400-22,400 with grade Pay of Rs. 12000 or alternatively with grade Pay of Rs. 10000 with administrative allowance Rs. 3000.	The concept of Grade Pay and Pay Band were not applicable in 5 th CPC.
56	Whether, faculty from the Humanities & Sciences to be considered eligible for the post of Principal/ Director of the Technical Institutions.	No.
57	Framing the Guidelines for CAS for the Cadres of Librarians/ Deputy Librarians/ Assistant Librarians and Director of Physical Education & Sports/Deputy Director of Physical Education & Sports / Assistant Director of Physical Education & Sports at Different Levels in Degree and Diploma Level Technical Institutions.	Instructions on the API Scoring pattern for these posts have been clarified under Instructions for filing up Part B of the PBAS Proforma, Para III (iv) of AICTE Regulations, 2012. For these posts, Career Advancement Scheme, eligibility criteria including API, composition of Selection Committee shall be similar to that prescribed in the UGC Regulations, 2010 and applied in University.
58	Consideration for minimum eligibility of 04 years to move from Lecturer (Sr. scale) to Lecturer (Selection Grade)/Asst. professor (from AGP of	The benefit of 4 years shall be extended to those teachers who have not been availed such relaxation during movement from Lecturer to Lecturer (Sr.

	7000 to 8000) to those who complete Ph. D during senior to Selection Grade in V th & VI th AICTE Notifications (Degree/Diploma).	scale)/ Asst. professor (from AGP of 6000 to 7000).
59	(a) Clarity is required in AGP of 5000 as mentioned in Para (a) vii) of AICTE Regulations 2010. (b) Consideration to relax two one week each TEQIP sponsored programs for CAS.	(a) This is typographical error. AGP Rs. 5000 shall be read as AGP Rs. 5400. (b) Two one week each AICTE/ UGC/ MHRD/DST/ State Govt. sponsored programs may also be considered as a alternative to TEQIP programs.
60	Higher qualification has been attached to the post of Lecturer (Selection Grade) vide AICTE Regulations, 2012 in comparison to those prescribed for the post of HOD under faculty norms in AICTE Regulations, 2010. Clarity needed for the qualifications prescribed for the post of Head of Department in AICTE Regulations, 2010 (Diploma) for direct recruitment as well as through Departmental promotion.	Academic qualification for the post of HOD in Diploma Institutions shall not be lower than that prescribed for the post of Lecturer (Selection Grade).
61	Pay anomaly is created among faculty, while extending the provision regarding counting of past service rendered by the teachers for the purpose of CAS in States/UTs Government Institutions as laid down in AICTE Notifications/ Regulations. Consideration is required to remove anomaly/ irregularity created in States/UTs Government Institutions, where service conditions are regulated under CCS, FR&SR Rules.	As per the respective State/UT Govt. Rules.
62	To consider experience in "Educational administration" for the purpose of appointment of Principal/ Director in Technical Institutions [Faculty norms AICTE Regulations, 2010].	Yes
63	Clarity is cited in AICTE Regulations, 2012 (Diploma) in Table III (page 49): Lecturer (stage 4) to (Stage 5) sub-Para (ii) in column 4.	Sub-Para (ii) shall be read as: A minimum of 03 publications since the period that the teacher is placed in stage 4.
64	Whether Ph. D is an essential qualification for the Post of Principal in Diploma Level Technical Institutions.	Yes
65	Whether, Central/ State Govt. norms could be extended (i.e. MACP/ACP) for career advancement to those faculty who do not have qualifications in accordance with AICTE norms in Diploma Level Technical Educations.	No
66	What shall be teaching load for faculty as per AICTE Regulations, 2010 on 6 th CPC in Degree/ Diploma Level Technical Institutions?	Workload of a teacher should not be less than 40 hours a week, of which teaching contact hours should be as follows: (a) Degree Level: Asst. Professor -16 hrs/ week Associate Professor -12 hrs/ week Professor – 8 hrs/ week Director/Principal- 4 hrs/ week (b) Diploma Level: Lecturers - 18 hrs/week Lecturers (Senior Scale) - 16 hrs/week Heads of Department / Lecturers (Selection Grade) -

		14 hrs/week Principal - 6 hrs/week
67	To consider AMIE along with M.E/M.Tech. degree acquired through contact mode (i.e. Regular/part time) for the appointment as a faculty in Technical Education.	Yes
68	Consideration for Pay Scales, qualifications, service conditions and CAS for the posts of Training and Placement officer in Degree/Diploma level Technical Institutions.	These are defined in Annexure -V .

Prof. AVINASH S PANT, Vice Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./310]

Annexure- I

**QUALIFICATIONS FOR THE FACULTY IN HUMANITIES AND SCIENCES
IN DEGREE LEVEL TECHNICAL INSTITUTIONS**

The qualifications for the faculty (Humanities & sciences) at various levels of posts in Degree level Technical Institutions are given below. Other terms and conditions are prescribed in AICTE Regulations No. 37-3/ Legal/AICTE/2010 dated 05th March 2010 and No. 37-3/ Legal/AICTE/2012 dated 8th Nov. 2012 for Degree level Technical Institutions which shall remain unchanged.

A. ASSISTANT PROFESSOR:

- Master's degree in relevant subject of Humanities & Sciences with first class or equivalent, at Bachelor's or Master's Level from any recognised Indian University.
- Besides fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.
- Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this clause; a candidate, who has a Ph.D Degree awarded before 2009, or has been awarded a Ph. D Degree after 2009 in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment as Assistant Professor in Technical Institutions.

B. ASSOCIATE PROFESSOR

- Qualification as above for the post of Asst. Professor and Ph. D degree in relevant subject.
- A minimum of 6 years of experience in teaching or research at an academic/research position equivalent to that of Assistant Professor and minimum of 3 publications with good impact factor in International Journal of repute.
- A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based on Appraisal System (PBAS), set out in AICTE Regulations 2012.

C. PROFESSOR

- Qualification as above for the post of Associate Professor.
- A minimum of 10 years of teaching experience in University/college, and/or experience in research at the University/National level Institutions/ industries out of which 5 years should be at the level of Associate Professor including experience of guiding candidates for research at doctoral level.

OR

Minimum of 13 years of teaching experience in University/college, and/or experience in research at the University/National level Institutions/ industries.

- Evidence of published work with a minimum of 4 publications with good impact factor in International Journal of repute.
- A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based on Performance Based Appraised System (PBAS), set out in this Regulation in AICTE Regulations 2012.

Annexure –II**CORRIGENDUM IN AICTE REGULATIONS, 2012 (DIPLOMA) IN RESPECT OF PARA-3 AND
TABLE II (A)**

3.	Stage of Promotion Under Career Advancement Scheme of Incumbent and Newly Appointed Lecturer : Para- 3 of AICTE Regulations, 2012 (Diploma)
3.1	Entry level Lecturer (stage 1) would be eligible for promotion under the career advancement scheme (CAS) through three successive stages (stage 2, stage 3 and stage 4), provided they are assessed to fulfil the eligibility and performance criteria as laid down in next clause.
3.2	In order to remedy the difficulties of collecting retrospective information and to facilitate the implementation of these Regulations from 5 th March, 2010 in the CAS promotion, the API based PBAS will be progressively and prospectively rolled out. Accordingly, the PBAS based on the API scores of categories I and II as mentioned in the tables of Appendix I is to be implemented for one year, initially based on the existing systems in Universities/ Colleges for one year only with the minimum annual scores as depicted in Table II (A) for Colleges teachers. This annualized API scores can then be compounded progressively as and when the teacher becomes eligible for CAS promotion to the next cadre. Thus, if a teacher is considered for CAS promotion in 2013, one year API scores for 2012-13 alone will be required for assessment. In case of a teacher being considered for CAS promotion in 2014, two year average of API scores for these categories will be required for assessment and so on leading progressively for the complete assessment period.
3.3	Incumbent and newly recruited Lecturer, possessing Ph. D. Degree in the relevant discipline shall be placed in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with AGP of Rs. 6000 (stage 1) and eligible, for moving to the next higher grade of Rs.7000 (stage 2) as Lecturer (Senior Scale) after completion of four years service as Lecturer.
3.4	Incumbent and newly recruited Lecturer possessing M. Phil Degree or a Post-Graduate Degree in professional courses approved by the relevant statutory body shall be placed in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with AGP of Rs. 6000 (stage 1) and eligible for moving to the next higher grade of Rs.7000 (stage 2) as Lecturer (Senior Scale) after completion of five years service as Lecturer.
3.5	Incumbent and newly recruited Lecturer with B.E. / B. Tech qualification in appropriate branch / discipline either entering the teaching profession newly or Lecturers already in service in Polytechnic Institutions shall be designated as Lecturer and shall be placed in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with AGP of Rs. 5400 and will move to AGP of Rs. 6000 on completion of Master's qualification in appropriate branch / discipline. Further, Incumbent and newly recruited Lecturer who do not have Ph.D. or a Master's degree in the relevant branch / discipline of a program shall be eligible for the AGP of Rs. 7,000 (stage-2) as Lecturer (Senior Scale) only after completion of 9 years service as Lecturer.
3.6	The upward movement from the entry level grade (stage 1) to the next higher grade of Rs.7000 (stage 2) as Lecturer (Senior Scale) for all Lecturers shall be subject to their satisfying the API based PBAS conditions laid down by the AICTE in these Regulations.
3.7	Lecturer (Senior Scale) who has completed five years of service in the grade of Rs 7000 (stage 2) shall be eligible subject to meeting the API based PBAS requirements laid down by these Regulations, to move up to next higher grade of Rs 8000 (stage 3) as Lecturer (Selection Grade) in Pay Band of Rs. 15600-39100.
3.8	Lecturer (Selection Grade) completing three years of teaching in the grade of Rs.8000 (stage 3) shall be eligible subject to the qualifying conditions and the API based PBAS requirements prescribed by these Regulations, to move to the Pay Band of Rs.37400-67000 with next higher grade of Rs.9000 (stage 4) and to be re-designated as Lecturer (Selection Grade). However, those joining the Service after 5th March 2010 shall have also earned Ph. D in addition to above mentioned requirements to move to the stage 4 subject to following. (a) Satisfying the required credit points as per API based PBAS requirements as provided in Tables of Appendix 1 and (b) An assessment by a duly constituted Selection Committee as suggested for the direct recruitment of Head of Department.
3.9	Head of the Department (HOD)/Lecturer (Selection Grade), completing 3 years of service in the AGP of Rs. 9000 and possessing a Ph.D Degree in the relevant discipline shall be eligible, subject to other conditions of academic performance as laid down by the AICTE, shall be placed in Rs. 37400-67000 with AGP of Rs. 10000 (stage 5).

TABLE-II (A)

MINIMUM APIs AS PROVIDED IN TABLE –I (Appendix -I)					
TO BE APPLIED FOR THE PROMOTION OF TEACHERS UNDER CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) IN COLLEGES, AND WEIGHTAGES FOR EXPERT ASSESSMENT					
		Lecturer (Sr. Scale): (stage 1 AGP 5400/6000 to stage 2 AGP 7000)	Lecturer (Sel. Grade): (stage 2 AGP 7000 to stage 3 AGP 8000)	Lecturer (Sel. Grade): (stage 3 AGP 8000 to stage 4 AGP 9000)	Lecturer (Selection Grade)/HOD: (stage 4 AGP 9000 to stage 5, PB4, AGP 10000)
I	Teaching- learning Evaluation Relate Activities (Category I)	75/Year	75/Year	75/Year	75/Year
II	Co-Curricular Extension and Profession related activities (Category II)	15/Year	15/Year	15/Year	15/Year
III	Minimum total average annual Score under Categories I and II	100/Year	100/Year	100/Year	100/Year
IV	Research and Academic Contribution (Category III)	10/Year (40/Assessment Period)	20/Year (100/Assessment Period)	30/Year (90/Assessment Period)	40/Year (120/Assessment Period)
V	Expert Assessment System	Screening Committee	Screening Committee	Selection Committee	Selection Committee
	Percentage distribution of weightage points in the Expert Assessment (Total Weightage 100 Minimum required for promotion is 50).	N Separate points Screening committee to verify API Scores	No separate points Screening committee to verify API scores	30% Contribution to Research, 50% Assessment of domain knowledge and teaching practices, 20% Interview performance.	50% Contribution to Research, 30% Assessment of domain knowledge and teaching practices, 20% Interview performance.

Annexure- III**FACULTY NORMS (NON- ENGINEERING DIPLOMA PROGRAMS)****Minimum qualifications and Experience for Appointment in Teaching Post in Diploma Level Technical Institutions (Non- Engineering Three Years Diploma Programs)**

Designation and Discipline	Qualification Recommended
LECTURERS	
Garment Technology ❖ Costume Design & Dress making; ❖ Dress Making & Designing ; ❖ Garment Fabrication Technology; ❖ Dress Making & Garment Manufacturing; ❖ Computer aided costume Designing & Garment Manufacturing; ❖ Knitting Technology; ❖ Fashion Technology & Textile Design	Bachelor's Degree in textile technology/textile chemistry/ B.Des. in appropriate discipline with First class or equivalent. If a candidate has a Master's Degree, first class or equivalent is required at Bachelor's or Master's level in relevant discipline. OR First class M. Sc. in Fashion Technology/ Clothing/Garment Technology of a recognized University/Institution.
Modern Office Management and Secretarial Practice ❖ Commercial practice ❖ Commercial and Computer Practice ❖ Office Management Practice ❖ Secretarial Practice ❖ Office Management Automation ❖ Stenography & Secretarial Practice ❖ Accountancy	M.Com/ M. A. (Economics)/MBA/MMS with First Class or equivalent with two years experience in Field/ Industry/ Training. OR B. Com/ B. A. (Economics) and CA/CS/ICWA with First Class or equivalent.
Library and Information Sciences	Master's Degree in Library & Information Science with first class or equivalent from recognised University/ Institution.
Applied Videography ❖ Video Engineering ❖ Television Engineering ❖ Television & Video Engineering ❖ Cinematography ❖ Video Production ❖ Sound Engineering ❖ Film Technology ❖ Mass Media Technology	B.E/ B. Tech. in Electronics, with first class or equivalent. If a candidate has a M.E/ M. Tech. in Electronics, first class or equivalent is required at Bachelor's or Master's level. OR Master degree in Mass Communication or in appropriate subject with first class or equivalent from a recognised University/ Institution.
Beauty culture and Cosmetology	M. Sc. in cosmetology/ Beauty culture with first class or equivalent from a recognised University/Institution. OR MBBS degree with 55% or equivalent and Diploma in Skin/MD in Skin/DNB in Skin/ MS or DNB in surgery with experience in Burn and Plastic Surgery/ M. Ch. in burn and plastic surgery.
Medical Laboratory Technology	Master's Degree in Medical Laboratory Technology with first class or equivalent from a recognised University/Institution. OR MBBS degree with 55% marks or equivalent. Qualification as MD in Pathology/ Biochemistry/ Microbiology/ Laboratory Medicine is desirable.
Fashion Designing	B.E/B. Tech. in Textile Technology/ Textile Engg./ Textile Chem. with first class or equivalent. If a candidate has a M.E/ M. Tech. in relevant disciplines, first class or equivalent is required at Bachelor's or Master's level. OR First Class Bachelor's degree in Fashion Technology/ Apparel Production/Fashion Design/ Fashion & Apparel Engg. or B. Des. in Fashion Design / Leather Design/ Knit wear Design. If a candidate has a Master's Degree in relevant discipline, first class or equivalent is required at Bachelor's or Master's level.
Interior Design/Decoration	Bachelor's Degree in Interior Design/B. Arch./ B. Des. in relevant discipline with first class or equivalent. If a candidate has a Master's Degree, first class or equivalent is required at Bachelor's or Master's level in relevant discipline.
Commercial Art	First class Master's Degree in Fine Art (Applied Art/ Design Art).

HEAD OF DEPARTMENT	
Garment Technology	i) Qualifications same as for the post of Lecturer along with Ph.D or equivalent in appropriate discipline / subject. ii) 8 years experience in Teaching/ Research/ Industry/Training at the level of lecturer or equivalent.
Modern Office Management and Secretarial Practice	i) Qualifications same as for the post of Lecturer along with Ph. D or equivalent in appropriate discipline. ii) 8 years experience in Teaching/ Research/ Industry/Training at the level of Lecturer or equivalent.
Library and Information Sciences	i) Qualifications same as for the post of Lecturer along with Ph.D or equivalent in Library & Information Science. ii) 8 years experience in Teaching/Research/ Industry/Training at the level of Lecturer or equivalent.
Applied Videography	i) Qualifications same as for the post of Lecturer along with Ph.D or equivalent in appropriate discipline. ii) 8 years experience in Teaching/ Research/ Industry/ Training at the level of Lecturer or equivalent.
Beauty culture and Cosmetology	i) Qualifications same as for the post of Lecturer along with Ph.D or equivalent degree in appropriate subject. OR MBBS qualification with 55% marks and possesses the MD/MS/DNB in appropriate subject. Ph. D qualification is desirable. ii) 8 years experience in Teaching/ Research /Industry/Training at the level of Lecturer or equivalent.
Medical Laboratory Technology	i) Qualifications same as for the post of Lecturer along with Ph. D or equivalent in appropriate subject OR MBBS qualification with 55% marks and possesses the MD/MS/DNB in appropriate subject. Ph. D qualification is desirable. ii) 8 years experience in Teaching/Research/ Industry/Training at the level of Lecturer or equivalent.
Fashion Designing	i) Qualifications same as for the post of Lecturer along with Ph. D or equivalent in appropriate discipline /subject. ii) 8 years experience in Teaching/Research/ Industry/Training at the level of Lecturer or equivalent.
Interior Design/Decoration	i) Qualifications same as for the post of Lecturer along with Ph. D or equivalent in appropriate discipline. ii) 8 years experience in Teaching/Research/ Industry/Training at the level of Lecturer or equivalent.
Commercial Art	i) Qualifications same as for the post of Lecturer along with Ph. D or equivalent in appropriate subject. ii) 8 years experience in Teaching/Research/ Industry/Training at the level of Lecturer or equivalent.

General guidelines for fixing qualifications for teachers of Diploma level courses (Three years diploma programme)	
1.	The qualifications prescribed above shall be applied for the purpose of CAS, promotion and direct recruitment. These shall be come into force from the date of publication in Official Gazette.
2.	The revised Pay Scales, Service Conditions, Career advancement scheme and other guidelines shall be as per AICTE Regulations 2010, dated 5 th March 2010 (Diploma) and AICTE Regulations, 2012 dated 8 th Nov. 2012 (Diploma) or any subsequent amendments / clarifications issued thereof, are applicable.
3.	Non-compounding advance increments are admissible to those who hold ME/ M.Tech./ M. Des/MD/MS/ Ph. D or equivalent higher qualification in appropriate discipline as laid down in AICTE Regulations, 2010 dated 5 th March 2010 (Diploma) and subsequent clarifications.
4.	The revised qualifications and experience will be required only for fresh appointees to the designated posts and will not be applicable for existing incumbents working on those positions. However, for further upward movement of the faculty under CAS/ promotion/ appointment they have to acquire higher qualification, if any prescribed for the post.
5.	For upward movement of Lecturer to Lecturer (Sr. Scale) or corresponding stage as prescribed in AICTE Regulations, 2012 dated 8 th Nov. 2012 under CAS, minimum qualifications shall be same as for the post of Lecturer in relevant discipline.
6.	For upward movement of Lecturer (Sr. Scale) to Lecturer (Selection Grade) or corresponding stage 4 & 5, minimum qualification shall be same as prescribed for the post of HOD in relevant discipline. Other guidelines are applicable as laid down in AICTE Regulations, 2012 dated 8 th Nov. 2012 or in any subsequent clarification thereof.
7.	For those AICTE approved non-Engineering diploma programs, which are not covered in this Regulations, State/UT Govt. may frame the guidelines for the requirement of minimum eligibility criteria in line with qualification prescribed as above, keeping in view that there shall be no dilution of qualification at any level of post, with the approval of AICTE.

Annexure- IV

GUIDELINES FOR STUDY LEAVE FOR THE FACULTY IN AICTE APPROVED INSTITUTIONS

Guidelines for grant of Study leave to Teachers and other academic staff entering into service without M. Tech./ Ph. D or other higher qualification in Degree/ Diploma level Technical Institutions are given below.

- (i) Study leave may be granted with Pay to the appointees such as Assistant Professor/Assistant Librarian/Assistant Director of Physical Education (Degree level) or in equivalent cadre (Diploma level), to pursue for study (M.E./M. Tech./ Ph. D) or research in the discipline directly related to his/her work.
- (ii) The number of years to be put in after entry should be a minimum of three years in regular service including the probation period, keeping in mind the availability of teachers in the discipline and the vacant positions.
- (iii) The paid period of study leave should be two/three years for Master/ Doctorial level respectively. Two years may be given in the first instance, extendable by one more year for Ph. D program, if there is satisfactory progress report by the Research Guide. Care should be taken to see that the regular academic work is not disturbed while granting study leave.

Explanation: in computing the length of service, the time during which a person was on probation or engaged as a research assistant may be reckoned provided:

- (a) The persons is a teacher on the date of the application;
- (b) He should have completed his probation period as specified in the concerned Institute statutes;

- (c) There is no break in service; and
 - (d) The leave is requested for undertaking the M. Tech./Ph. D research work.
 - (iv) Study leave shall be granted by the Institution on the recommendation of the concerned Head of the Department.
 - (v) Study leave shall not be granted to a teacher who is due to retire within five years of the date on which he/she is expected to return to duty.
 - (vi) Study leave may be granted not more than twice during one's career. The maximum study leave admissible during the entire service should not exceed five years.
 - (vii) No teacher, who has been granted study leave, shall be permitted to alter substantially the course of study or the programme of research without the prior permission of the Executive Council/Syndicate/ State Technical Education Department. Any extension beyond the stipulated period shall be treated as leave without Pay.
 - (viii) The amount of scholarship, fellowship or other financial assistance that a teacher is granted during the study leave by any other agency, shall not preclude his/her being granted study leave with Pay and allowances but the scholarship etc., so received shall be taken into account in determining the Pay and allowance on which the study leave may be granted. The foreign scholarship/fellowship would be set off against Pay only if the fellowship is above a specified amount, which shall be determined according to Government of India rules, from time to time applicable and based on the cost of living for a family in the country in which the study is to be undertaken. In the case of an Indian fellowship, which exceeds the salary of the teacher, the salary would be forfeited.
 - (ix) Subject to the maximum period of absence from duty on leave not exceeding three years, study leave may be combined with earned leave, half-Pay leave, extraordinary leave or vacation, provided that the earned leave at the credit of the teacher shall be availed at the discretion of the teacher. A teacher, who is selected to a higher post during study leave, will be placed in that position and get the higher scale only after joining the post.
 - (x) A teacher granted study leave shall on his/her return and re-joining the service of the Institute be eligible to the benefit(s) of the annual increment(s) which he/she would have earned in the course of time if he/she had not proceeded on study leave. No teacher shall however, be eligible to receive arrears of increments.
 - (xi) Study leave shall count as service for pension/contributory provident fund purposes, provided the teacher joins back in the Institute on the expiry of his/her study leave.
 - (xii) Study leave granted to a teacher shall be deemed to be cancelled in case it is not availed of within 12 months of its sanction.
- Provided that where study leave granted has been so cancelled, the teacher may apply again for such leave.
- (xiii) A teacher availing himself/herself of study leave shall undertake that he/she shall serve the Institute for a continuous period of at least three years to be calculated from the date of his/her resuming duty on expiry of the study leave.
 - (xiv) After the leave has been sanctioned, the teacher shall execute a bond in favour of the Institute, binding himself/herself for the due fulfilment of the conditions laid down in sub-clauses above and given security of immovable property to the satisfaction of the Finance Officer/Treasurer or a fidelity bond of an insurance company or a guarantee by a scheduled bank or furnish security of two permanent teachers for the amount which might become refundable to the Institute in accordance with sub-clause (xiii) above.
 - (xv) The teacher shall submit to the Head of the Institution, the progress report at a frequent interval of 6 months in his/her studies through his/her supervisor. This report shall reach the Head of the Institution of within one month of the expiry of every six months term of the study leave. If the report does not reach within the specified time, the payment of leave salary may be deferred till the receipt of such report.

Annexure-V**QUALIFICATION, PAY SCALES AND SERVICE CONDITIONS OF
TRAINING AND PLACEMENT OFFICERS (DEGREE)**

The need for placement and Training in a Degree Level Technical Institutions was recognized in the AICTE Norms and standards of the year 1990, to be adopted by State/UT Government in the respective States /UTs. Vide Para 10 (b) of Letter No. FD/PSSC/Clrif/2002/1 dated 03-01-2003 their Pay Scales etc. were left to be decided by said Governments taking local conditions into consideration. Considering the various representations received by various stakeholders and the importance of Training and Placement Officers (TPO) in the changed Scenario of developing of economy of the country, it has become imperative to bring them in the purview of AICTE to determine their service conditions. Accordingly, the following is proposed.

- (i) Person entering as Training and placement officers shall be of the cadre of a Professor and shall be recruited with designation as Professor (TPO). Essential Qualifications and experience required for the post shall be in line with Professor (Engineering and Technology) laid down in AICTE Regulations 2010 (Degree). Due waitage shall be given to a person from the reputed Industrial background with good managerial and communicational skill. Degree in management shall be a desirable qualification.
- (ii) Existing Training and Placement officers shall be re-designated as Professor (TPO)/ Associate Professor (TPO)/ Asst. Professor (TPO), as the case may be, provided all the requisite qualifications and relevant experience in line with faculty norms laid down in AICTE Regulations 2010 (Degree) and subsequent AICTE Clarifications/ Notifications issued thereof.
- (iii) Pay Scales of existing TPO shall be fixed in accordance of fitment table of 6th CPC with re-designation of post as may be applicable.
- (iv) Career Advancement scheme shall be equally applicable to them in line with that prescribed for the faculty subject to fulfilment of essential eligibility conditions as laid down in AICTE Regulations 2010 & 2012 and in subsequent Clarification/ Notifications issued thereof.

Duties and responsibilities of Training and Placement officer:

- (i) The post shall be treated as a non vocational post. The officer shall have a teaching work load of 4 hrs/week.
- (ii) TPO should maintain a good liaison with industry in and around the place of the campus.
- (iii) He should conduct an annual survey of job requirements in the Industries, research and service organizations.
- (iv) He should arrange for campus interviews/ job mela etc., in plant training and also arrange to get industries sponsored projects for both staff and final year students.
- (v) He should create data bank of experts in respective field from industries/research/service sectors and invite them to the Institute to deliver lectures for the benefit of students and staff members.
- (vi) He should also arrange training/field visits to students and staff members in industries/research/service sectors.
- (vii) He should also assist the students in getting apprentice training and suitable placement in industries/ research/service organizations. He shall also be responsible for preparing the students in facing group discussions, personal interviews and personality development etc.
- (viii) Training and placement officer should create a data bank of all alumni who are placed in reputed industries/research/service organizations.
- (ix) Any other related duty assigned by the Head of the institute from time to time.

Qualification, Pay Scales and Service Conditions of Training and Placement Officers (Diploma) similar to the above, may be considered, with appropriate changes where ever required by respective State/UT Government.

These rules will be effective from the date of notification in official Gazette.